न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता , (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या 18/2026 (3686/14)(172/11)

श्रीमती अनिल मित्तल उर्फ प्रार्थना मित्तल पत्नी श्री अनिल मित्तल एवं पुत्री स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग, निवासी– नैनी विला, ए–2, जीवन विहार कॉलोनी, गेटवेल हॉस्पिटल के पास, वैशाली नगर, अजमेर।

–– वादिया

बनाम

1. प्रवीण गर्ग पुत्र स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग,
2. श्रीमती प्रतीक्षा गोयल पुत्री स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग,
3. श्रीमती प्रीती उर्फ रजनी अग्रवाल मित्तल पुत्री स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग

   निवासीगण– नैनी विला, ए–2, जीवन विहार कॉलोनी, गेटवेल हॉस्पिटल के पास, वैशाली नगर रोड, अजमेर।
4. रजीयर सिंह बेदी पुत्र श्री अनूप सिंह बेदी, निवासी– मिशन कंपाउण्ड, चौधरी अस्पताल के पास, फ्रेजर रोड, अजमेर।
5. शंकर बालचंदानी पुत्र स्वर्गीय श्री ठाकुरदास बालचंदानी, निवासी–बंगला नम्बर 4–ए, संत कंवरराम कॉलोनी, फॉयसागर रोड, अजमेर।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्य.प्र.सं.
वास्ते बंटवारा, दिलाये जाने किराया व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री ओ.पी.बंसल, व श्री हिमांशु सुरोलिया, विद्वान अधिवक्तागण, वादिया की ओर से।
2. श्री सुहोत्र शर्मा , विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से।
3. श्री जी.के. अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से।
4. श्री अशोक कुमार जैन, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या–4 की ओर से।
5. श्री शिवस्वरूप माथुर, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या–5 की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 27.04.2026**

1. वादीगण की ओर से एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्य.प्र.सं. बाबत् बंटवारा, दिलाये जाने किराया सम्पत्ति व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय में दिनांक 24.10.2011 को प्रस्तुत किये जाने पर वाद को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात उक्त वाद दिनांक 05.11.2011 को न्यायालय अपर जिला एवं सेशन

Authenticated Document

न्यायाधीश संख्या–2, अजमेर के न्यायालय को वास्ते निस्तारण अन्तरित किया गया। कालान्तर में उक्त वाद पुनः इस न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ।

2. वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता बेनीगोपाल गर्ग का स्वर्गवास दिनांक 02.10.2011 को हो गया। स्वर्गीय बेनी गोपाल का नैनी विला, ए–2, जीवन विहार कॉलोनी, गेटवेल हॉस्पिटल के पास, वैशाली नगर, अजमेर स्थित मकान लगभग 700 वर्गगज पर बना हुआ है, जिस पर स्वर्गीय बेनीगोपाल गर्ग की पुत्री व वारिस होने के कारण वादिया का भी कब्जा है। इसके अलावा बेनीगोपाल अपने पीछे मूल्यवान सामान में 250 तोला सोने के जेवर, 80 चांदी के सिक्के, 5 किलो चांदी के विभिन्न जेवर, घरेलू रोजमर्रा का सामान, फर्नीचर, बर्तन आदि छोड़कर गये है। बेनीगोपाल के उक्त मकान के तीन पोर्शन में किरायेदार रह रहे हैं, जिनका किराया 11,000/–रूपये प्रतिवादी संख्या–3 प्राप्त कर रही है। शेष भाग वादिया व प्रतिवादीगण के कब्जे में है। स्वर्गीय बेनीगोपाल द्वारा छोड़े गये सोने, चांदी के जेवर, सिक्के और मूल्यवान घरेलू सामान आदि पर प्रतिवादी संख्या 3 ने कब्जा कर रखा है। स्वर्गीय बेनीगोपाल ने कोई वसीयत नहीं की। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बेनीगोपाल की संताने होकर सम्पत्ति से प्राप्त आय व किराया आदि में बराबर के हिस्सेदार है। उक्त सम्पत्ति में वादिया का 1/4 हिस्सा है। वादिया द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार अपने 1/4 हिस्से की मांग करने पर भी उनके द्वारा वादिया को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। वादिया ने प्रतिवादीगण को दिनांक 08.10.2011 को नोटिस प्रेषित करवाया, जो उन्हें प्राप्त हो गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने नोटिस का जवाब प्रेषित कर पैरा संख्या 3 में वसीयत का हवाला दिया, लेकिन वसीयत किस तारीख व किसके पक्ष में निष्पादित की गयी, इसका कोई हवाला नहीं दिया गया, जिससे वसीयत प्रलेख पूर्णतया मिथ्या है। वादिया ने उक्त जवाब प्राप्त होने के बाद अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 22.10.2011 को प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता को वसीयत की कोई जानकारी वादिया को नहीं होना और वसीयत की नकल अधिवक्ता वादिया को भेजने का पत्र भेजा गया। वादपत्र में वादिया की ओर से वादकारण उत्पन्न होने की दिनांकों का भी अंकन किया गया है। वाद का मूल्यांकन बेनीगोपाल द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति के बाजार मूल्य 85,00,250/–रूपये के 1/4 हिस्से पर किया जा रहा है। अंत में वादिया की ओर से प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर निवेदन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित अचल सम्पत्ति का सीमांकन द्वारा विभाजन कर वादिया को उसका 1/4 हिस्सा दिलवाया जावे, साथ ही बेनीगोपाल की मृत्यु दिनांक 02.10.2011 से डिक्री पारित होने तक की अवधि का समस्त किराया व आय में से प्रतिवादी संख्या 3 से वादिया को 1/4 हिस्सा दिलवाया जावे।

Authenticated Document

प्रतिवादीगण व उनके परिवारजन आदि के विरुद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे इस वाद में वर्णित सम्पत्ति को किसी के भी पक्ष में दान, बेचान, गिरवी, अडमान आदि से अन्तरित न करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें।

3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वाद पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति के मालिक श्री बेनीगोपाल वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता थे, जिन्होंने अपनी मृत्यु पूर्व वसीयतनामा दिनांक 12.01.2010 का निष्पादित करते हुए, वादग्रस्त सम्पत्ति का विभाजन पक्षकारान के मध्य किया था। उक्त विभाजन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को पोर्शन नम्बर 5, प्रतिवादी संख्या 3 को पोर्शन नम्बर 4, वादिया को पोर्शन नम्बर 3, प्रतिवादी संख्या 2 को पोर्शन नम्बर 1 व 2 प्रदान किया गया था। वसीयत निष्पादन के पश्चात मूल वसीयत प्रतिवादिया श्रीमती प्रतीक्षा गोयल को प्रदान की। बेनीगोपाल के निधन के समय एवं उसके बाद अक्टुबर, 2011 तक विभाजन के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 काबिज रहे। प्रतिवादी श्रीमती प्रीति उर्फ रजनी ने दिनांक 18.10.2011 को दादागिरी कर वादिया श्रीमती अनिल मित्तल उर्फ प्रार्थना मित्तल, प्रतिवादी प्रवीण गर्ग एवं श्रीमती प्रतीक्षा गोयल को मकान से निकाल दिया। उस समय प्रतिवादी श्रीमती प्रतीक्षा गोयल ने प्रतिवादी श्रीमती प्रीति उर्फ रजनी को वसीयत दिनांक 12.01.2010 की प्रतिलिपि दी, किन्तु वह नहीं मानी। बेनीगोपाल ने वसीयत की है, जिसके अनुसार प्रत्येक पक्ष हिस्सा पाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। वादिया की तथाकथित वसीयत निष्प्रभावी होकर कूटरचित है, क्योंकि ऐसी किसी वसीयत के बारे में प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती प्रीति उर्फ रजनी ने कभी नहीं बताया। वसीयत दिनांक 12.01.2010 के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को उनका हिस्सा नहीं मिलने तक विवादित सम्पत्ति को अन्तरित, तोड़–फोड़ करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। अतः बेनीगोपाल द्वारा निष्पादित की गयी वसीयत दिनांक 12.01.2010 के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य सम्पत्ति का विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वाद पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए संशोधित जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि श्री बेनीगोपाल ने कोई जेवरात, चांदी के सिक्के नहीं छोड़े वरन वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की माता का निधन पूर्व में ही हो जाने के कारण उन्होंने अपने जीवनकाल में ही जेवरात वारिसान में विशेषकर वादिया प्रार्थना मित्तल को सौंप दिये थे। वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में बेनीगोपाल ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत प्रतिवादी श्रीमती प्रीति उर्फ रजनी के पक्ष में निष्पादित कर दी, जिसके कारण

Authenticated Document

वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेनीगोपाल की मृत्यु के पश्चात जीवन विहार कॉलोनी स्थित सम्पत्ति ए2 में किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार या सहभागिता प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 के पास कोई सोना–चांदी व जेवरात नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति की वसीयत प्रतिवादी के पक्ष में होने के कारण उसके स्वामित्व व अधिकार में चली आ रही है, जिसके किराये बाबत वादिया को किसी प्रकार की आपत्ति करने का हक व अधिकार नहीं हैं क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 के अतिरिक्त किसी अन्य का कोई हक व अधिकार वादग्रस्त सम्पत्ति में नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति में वादिया व अन्य किसी का कोई हक, अधिकार व स्वत्व निहित नहीं होने के कारण वे सम्पत्ति का विभाजन करवाने की अधिकारी नहीं है। वादिया व बेनीगोपाल जी के अन्य वारिसान को वसीयत की वर्षों पूर्व ही जानकारी होने पर उन्होंने बेनीगोपाल जी के परिवार से पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर लिये थे। वादिया ने प्रार्थना मित्तल के स्थान पर अनिल मित्तल के रूप से संबोधित करना प्रारम्भ कर लिया। वसीयत की फोटोप्रति भी वादिया के पास उपलब्ध है, इसलिए उसने कभी फोटोप्रति की मांग नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 3 ने सम्पत्ति को बेचान या दलालों को दिखाने की कभी कोई चेष्टा नहीं की, ऐसी स्थिति में वादिया किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वादिया के पक्ष में कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वसीयत निष्पादन के कारण विभाजन का वाद पोषणीय नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में बेनीगोपाल ने एक वसीयत श्री संदीप अग्रवाल अधिवक्ता से उनकी हस्तलिपि में कुल 6 पेज की तैयार करवायी। बेनीगोपाल ने उक्त वसीयत को पूरी तरह पढ़कर उसमें जिन कथनों को अनावश्यक माना उनको अपने हाथ से काटकर वसीयत में वांछित संशोधन अपनी हस्तलिपि से किये। इसके उपरान्त उक्त वसीयत को टंकित करवा कर नोटेरी अथवा उप–पंजीयक के यहां पंजीकृत करवाने की योजना थी, किन्तु बेनीगोपाल की शारीरिक व्याधि के कारण ऐसा नहीं कर पाये तो उन्होंने अपने विश्वनीय व परिचित हंसराज फागना व श्रीमती सरोज जुड़ित को बुलाकर उनके सामने किशन गुर्जर अधिवक्ता से विधिक राय लेकर दोनों साक्षियों के सामने वसीयत के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके वसीयत दिनांक 14.03.2007 को निष्पादित की। बेनीगोपाल के निवेदन पर गवाहों ने भी अपने हस्ताक्षर किये। बेनीगोपाल ने दिनांक 12.01.2010 को कोई वसीयत निष्पादित नहीं की, इसलिए यह वसीयत कूटरचित एवं जाली है। वसीयत के तथ्यों को छुपाकर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। वादिया व बेनीगोपाल के अन्य विधिक वारिसान का वादग्रस्त परिसर पर कब्जा नहीं है। वादिया व अन्य विधिक वारिसान ने बेनीगोपाल की आय में से निधन के पश्चात जमा रही पूंजी को प्राप्त किया है। मुख्त्यारनामा दिनांक 30.11.2022 सम्पत्ति संख्या 2 जीवन विहार कॉलोनी, गेटवेल होस्पिटल के सामने, वैशाली नगर का बनाया गया है तथा

Authenticated Document

जिसके आधार पर विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2022 निष्पादित किया है, वे अवैध व शून्य होकर प्रतिवादी संख्या 3 पर बाध्यकारी नहीं हैं। उक्त विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। मुख्त्यारनामा व विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 3 के हकों व अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः वादिया का वाद खारिज किये जाने तथा विक्रय पत्रों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. वादिया की ओर से पेश किये गये वादपत्र का प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने संशोधित जवाब दावा पेश करते हुये कथन किये हैं कि मुख्त्यारनामा आम दिनांक 30.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा निष्पादित किया गया है, वह वैध है। उक्त मुख्त्यारनामे के आधार पर दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2022 को निष्पादित किये गये हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति के मुख्त्यारनामा आम व विक्रय पत्र निष्पादित करते समय उक्त सम्पत्ति पर न्यायालय की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं थी। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा गलत रूप से तीन किरायेदारों से किराया प्राप्त किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 ने कूटरचित वसीयत तैयार की है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 1/4–1/4 अर्थात सम्पूर्ण सम्पत्ति का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर मालिक व स्वामी हो गये हैं। 1/2 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 4 व 5 मालिक हो जाने से उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का कोई हक व अधिकार वादिया व अन्य प्रतिवादी को नहीं है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/4–1/4 हिस्सा बंटवारा किया जाकर उक्त सम्पत्ति में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा क्रय किये जाने के कारण वादी के साथ ही प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 के पक्ष में 1/4–1/4 हिस्सा विभाजित करते हुये प्रदान किये जाने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में मुख्त्यारनामा व विक्रय पत्र पूर्णतया विधिक है। विक्रय पत्र विधिक होने से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 सम्पत्ति के मालिक होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विक्रय पत्र की जानकारी प्रतिवादी संख्या 3 को शुरू से ही रही है। ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 3 व अन्य पर बाध्यकारी है। विक्रय पत्र को प्रतिवादी संख्या 3 नियमानुसार निष्पादित किये जाने के कारण उन्हें अवैध व शून्य घोषित करवाने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि इस बाबत बाजार मूल्य पर न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। अतः विक्रय पत्र निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है।

6. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गये–

1. आया वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित सम्पत्ति व सोने चांदी के जेवरात वादिया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति है, जिसका वादी बाई मीटस एण्ड बाउण्डस से विभाजन

Authenticated Document

करवाकर वादिया अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है?

---वादिया

2. आया वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित सम्पत्ति में किरायेदार निवास करते है, जिनसे प्राप्त किराया राशि में भी वादिया अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

---वादिया

3. आया वादिया वादपत्र में वर्णित कारणों से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

---वादिया

4. आया विवादित सम्पत्ति के संबंध में स्वर्गीय बेनीगोपाल ने दिनांक 12.01.2010 को एक वसीयतनामा निष्पादित कर विभाजन कर दिया था?

--प्रतिवादी संख्या 1 व 2

5. आया बेनीगोपाल ने दिनांक 14.03.2007 को प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की?

--प्रतिवादी संख्या 3

6. आया वादिया ने वाद मूल्यांकन कम कर कम न्यायशुल्क अदा किया है?

--प्रतिवादी संख्या 3

6ए. आया मुख्त्यारनामा दिनांक 30.11.2022 एवं दो विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2022 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में मालिकाना हक, अधिकार सहित निष्पादित किये गये।

--प्रतिवादी संख्या 4 व 5

6बी. आया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त सम्पत्ति के भाग जो प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा खरीद किया गया है, जिसकी कीमत 70,00,000/– रुपये पर अंकित है, पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वाद शुल्क नहीं लगाये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है?

--प्रतिवादी संख्या 4 व 5

7. अनुतोष?

7. वादिया ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में स्वयं को पी.डब्ल्यू 1 अनिल उर्फ प्रार्थना मित्तल को परीक्षित करवाया तथा वादिया की ओर से रिबटल साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 2 अनिल मित्तल की साक्ष्य लेखबद्ध की गई। प्रलेखीय साक्ष्य में

प्रदर्श–1 लीगल नोटिस,

Authenticated Document

प्रदर्श–2 लगायत 4	डाक रसीद ,
प्रदर्श–5	जवाब नोटिस,
प्रदर्श–6	लौटकर आया लिफाफा,
प्रदर्श–7 लगायत 9	डाक प्राप्ति रसीद,
प्रदर्श–10	मुख्त्यारनामा खास,
पुनः प्रदर्श 10	नोटिस दिनांक 22.10.2011,
प्रदर्श–11	मुख्त्यारनामा खास निरस्त करने बाबत नोटिस,
पुनः प्रदर्श–11	मुख्तयारनामाआम दिनांक 30.11.2022,
पुनः प्रदर्श–11	टेलीफोन बाबत पत्र,
प्रदर्श–12	अखबार में प्रकाशित आम सूचना

को पेश कर प्रदर्शित करवाया।

प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन डी.डब्ल्यू 1 प्रवीण गर्ग, डी.डब्ल्यू 2 प्रतीक्षा गोयल, डी.डब्ल्यू 3 राजेश गोयल, डी.डब्ल्यू 3/1 प्रीति अग्रवाल, डी.डब्ल्यू 3/2 हंसराज फागना, डी.2 डब्ल्यू 3 गिरीश कुमार एवं डी.डब्ल्यू 4/1 रजीयर सिंह बेदी को परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में

प्रदर्श ए 1	वसीयत दिनांकित 12.01.2010,
पुनः प्रदर्श–ए 1	एल.आई.सी. का पत्र दिनांकित 21.12.2017,
पुनः प्रदर्श ए 1	वेणीगोपाल गर्ग का नोमिनेशन में परिवर्तन बाबत पत्र,
प्रदर्श–ए 2	एल.आई.सी. की रसीद,
प्रदर्श–ए 3	प्रार्थना पत्र निस्तारण करने अपील,
प्रदर्श ए 4	वसीयतनामा दिनांकित 14.05.2007,
प्रदर्श–ए 5	न्यायालय की आदेशिका,
प्रदर्श–ए 6	न्यायालय के निर्णय दिनांकित 09.01.2014 की प्रति,
प्रदर्श ए 7	न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) अजमेर की फौजदारी अपील संख्या 5/2014 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2014 की प्रति,
प्रदर्श ए 10 व ए 11	टेलीफोन के बिल,
प्रदर्श ए 12	भुगतान की रसीद,
प्रदर्श ए 13 व ए 14	टेलीफोन के बिल,

Authenticated Document

प्रदर्श ए 15	भुगतान की रसीद,
प्रदर्श ए 16 से ए 19	टेलीफोन के बिल,
प्रदर्श ए 20	टेलीफोन का बिल,
प्रदर्श ए 21	भुगतान की रसीद,
प्रदर्श ए 22	पोस्टल रसीद,
प्रदर्श ए 23	टेलीफोन का बिल,
प्रदर्श ए 24 व ए 25	भुगतान की रसीद,
प्रदर्श ए 26	टेलीफोन का बिल,
प्रदर्श ए 27	टेलीफोन के रिफण्ड के लिए आवेदन,
प्रदर्श ए 28	सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन,
प्रदर्श ए 29	अनिल मित्तल की बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री,
प्रदर्श ए 30	प्रीति अग्रवाल की राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल की उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका सहित प्रमाण–पत्र,
प्रदर्श ए 31	प्रीति अग्रवाल की राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल की माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका सहित प्रमाण–पत्र,
प्रदर्श ए 32	प्रीति अग्रवाल का माईग्रेशन प्रमाण–पत्र,
प्रदर्श ए 33	प्रीति अग्रवाल का उच्च माध्यमिक विद्यालय की अंक विवरणीका को प्रदर्शित कराया गया तथा
प्रदर्श–बी 1	विक्रय पत्र,
प्रदर्श–बी 2	नक्शा,
प्रदर्श–बी 3	विक्रय पत्र,
प्रदर्श–बी 4	नक्शा,
प्रदर्श–बी 5	मुख्त्यारनामा आम,
प्रदर्श–बी 6	नक्शा,
प्रदर्श–बी 7	वादपत्र की प्रति,
प्रदर्श–बी 8 से बी 9	प्रार्थना पत्र की प्रति,
प्रदर्श बी–10	जवाबदावा,
प्रदर्श–बी 11	पता पंजीबद्ध,
प्रदर्श–बी12 व बी 13	हाउस टैक्स प्रार्थना पत्र,
प्रदर्श–बी 14	इण्डैन गैस का वाउचर,

Authenticated Document

प्रदर्श–बी 15	टेलीफोन ट्रांसफर का प्रार्थना पत्र,
प्रदर्श–बी 16	नगर परिषद, अजमेर की सामान्य सूचना,
प्रदर्श बी–17	लिपिकों हेतु सामान्यस बैंकिंग कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पत्र दिनांक 28.07.1993,
प्रदर्श बी–18	एस.बी.आई. का वरिष्ठ रोकड़ियों हेतु कार्यक्रम की समाप्त के पश्चात कार्यमुक्त किये जाने का पत्र,
प्रदर्श बी–19	कंफोरमेशन लेटर दिनांकित 08.12.1984,
प्रदर्श बी–20	नियुक्ति पत्र दिनांकित 01.06.1984

को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

8. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्ष के अभिवचनों, उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य, उभय पक्ष की ओर से पेश किए गए न्यायिक दृष्टांत एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से पेश की गयी लिखित बहस के आधार पर उपरोक्त विवाद्यकों पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार है।

<u>विवाद्यक संख्या– 1 लगायत 5</u>

9. उक्त पांचों विवाद्यक एक–दूसरे से परस्पर संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 में वादिया को यह सिद्ध करना है कि आया वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित सम्पत्ति व सोने चांदी के जेवरात वादिया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति है, जिसका वादी बाई मीटस एण्ड बाउण्डस से विभाजन करवाकर वादिया अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। आया वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित सम्पत्ति में किरायेदार निवास करते है, जिनसे प्राप्त किराया राशि में भी वादिया अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है, आया वादिया वादपत्र में वर्णित कारणों से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है, विवाद्यक संख्या 4 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को यह सिद्ध करना है कि आया विवादित सम्पत्ति के संबंध में स्वर्गीय बेनीगोपाल ने दिनांक 12.01.2010 को एक वसीयतनामा निष्पादित कर विभाजन कर दिया था तथा विवाद्यक संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 3 को यह सिद्ध करना है कि आया बेनीगोपाल ने दिनांक 14.03.2007 को प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की।

10. उक्त पांचों विवाद्यकों का निस्तारण किये जाने से पूर्व उभय पक्ष की ओर से उक्त पांचों विवाद्यकों के सम्बन्ध में पेश की गई साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन किया जाना न्यायोचित है। वादिया की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में **पी.डब्ल्यू 1 श्रीमती अनिल मित्तल**

उर्फ प्रार्थना मित्तल, जो कि हस्तगत वाद में वादिया है, को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के रूप में पेश किये गये शपथ–पत्र में वाद पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि** यह अचल सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 3 के पास है। मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। विवादित सम्पत्ति में मेरा हक है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 हमें हमारा अधिकार देने से इंकार करती है। जब मैंने दावा पेश किया था, तब मेरी जानकारी में नहीं था कि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल की कोई वसीयत अस्तित्व में है। जब गवाह पेश किया था तब प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा मुझे कोई वसीयत नहीं दिखायी गयी, ना ही सम्भलायी गयी। **यह कहना सही है कि उक्त वसीयत वर्ष 2007 में बेनीगोपाल द्वारा निष्पादित नहीं की गई है व फर्जी हस्ताक्षर करके कांट फांस करके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर पेश की गई है।** यह कहना सही है कि उक्त वसीयत में बेनीगोपाल के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त सम्पत्ति में हम चारों भाई–बहनों का 1/4–1/4 हक व हिस्सा है। **मेरे पिताजी बेनीगोपाल की वादग्रस्त सम्पत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है।** यह कहना सही है कि सन् 2007 में मेरे पिताजी का स्वास्थ्य सही था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श ए 4 वसीयतनामे पर ए से बी हस्ताक्षर मेरे पिताजी के हो, के कथन किये हैं।

11. **वादिया की ओर से रिबटल साक्ष्य में वादिया श्रीमती अनिल मित्तल उर्फ प्रार्थना मित्तल का पति अनिल मित्तल पी.डब्ल्यू 2** का शपथ–पत्र पेश किया, जिसमें मुख्य रूप से गवाह ने अपने ससुर बेणगोपाल के हस्ताक्षरों के संबंध में कथन किये हैं। प्रतिवादी संख्या 3 प्रीति मित्तल जो कि गवाह की साली है, के संबंध में कथन किये है कि उसने सोफिया स्कूल से ग्यारहवीं की कक्षा पास की है, जिसको दूसरे के लेख की नकल करने व हस्ताक्षरों की नकल करने की आदत रही है। गवाह प्रीति के लेख से अच्छी तरह परिचित है। गवाह आरोपित वसीयत प्रदर्श ए 4 देखता है तो इसकी कोई भी लेख उसके दिवंगत ससुर के हस्तलेख में नहीं है। इसमें जो भी कांटा–फांसी की गई है, वह लेख भी गवाह के ससुर के हस्तलेख में नहीं है। इस पर आरोपित ए से बी हस्ताक्षर गवाह के ससुर के नहीं है। वसीयत फर्जी तरीके से आरोपित गवाहान से मिलकर करायी गयी है। इसके अंतिम पेज पर 'टी' स्थान पर अंगूठा निशानी किसी की भी नहीं है। गवाह की पत्नी को विवादित जायदाद व जेवरात आदि में हिस्सा नहीं मिले, इस कूट मंशा से प्रदर्श ए 4 फर्जी वसीयत गवाह की साली प्रीति ने तैयार की है। वसीयतनामा दिनांक 12.01.2010 को गवाह देखता है तो यह वसीयत एक पेज की होकर इस पर ए से बी हस्ताक्षर गवाह के ससुर बेनीगोपाल के है एवं हस्ताक्षरों के नीचे कोस्टक में उन्होंने अपना नाम अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में लिखा है। प्रदर्श बी 13 के

हस्ताक्षर भी प्रदर्श ए 4 के ए से बी हस्ताक्षरों से मेल नहीं करते हैं तथा फर्जी बनाये हुए है इत्यादि कथन गवाह ने विवाद्यक संख्या 1, 4 व 5 के सम्बन्ध में किये हैं। प्रलेखीय साक्ष्य में पुनः प्रदर्श–11 पत्र को पेश कर प्रदर्शित कराया है। **उक्त गवाह से विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किये हैं कि** प्रदर्श ए 4 पर ए से बी भाग के मध्य जो हस्ताक्षर है, वह मेरे ससुर श्री बेनीगोपाल के नहीं है। प्रदर्श ए 4 में कांटा–फांसी करके लिखा गया है। प्रदर्श ए 4 पर पृष्ठ संख्या 6 पर " टी मार्क" पर अंकित अंगुठा निशानी फर्जी है। यह अंगुठा निशानी बेनीगोपाल जी की नहीं है,उनका अंगुठा बहुत बड़ा था और जो पृष्ठ संख्या 6 पर जो अंगुठा निशानी दिख रही है, वो इसके पृष्ठ पर की गई अंगुठा निशानी जो किसी ओर के द्वारा की गई, उसका प्रतिबिम्ब है। प्रदर्श ए 1 वसीयत के ए से बी भाग के मध्य जो हस्ताक्षर है वो मेरे ससुर स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल जी के ही है। यह प्रलेख वसीयत दिनांक 12.01.2010 की है, के कथन किये है।

उक्त गवाह से विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने कथन किये है कि प्रदर्श ए 1 पर ए से बी हस्ताक्षर बेनीगोपाल के है, जो फर्जी हस्ताक्षर है। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से की गयी जिरह में गवाह से प्रदर्श–11 बाबत विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है,** जिसमें गवाह ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि प्रदर्श–11 फर्जी दस्तावेज बनाकर उसने पेश किया और इस पर ए से बी हस्ताक्षर बेनीगोपाल के उसने स्वयं ने फर्जी बनाकर पेश किया। गवाह की हस्तलेख विशेषज्ञ की डिक्री प्रदर्श ए 29 है। गवाह से प्रदर्श ए 4 वसीयत के बाबत किये गये प्रश्न के जवाब में गवाह ने यह कथन किया है कि यह वसीयत 2023 में पेश की गई है, इससे पूर्व हमने कई बार कोर्ट में गुहार लगायी थी कि आप वसीयत पेश करें पर आपने पेश नहीं की। फौजदारी कार्यवाही कोई नहीं की। यह कहना गलत है कि प्रदर्श ए 4 वसीयतनामा मेरे ससुर साहब द्वारा राजीखुशी स्वेच्छा से निष्पादित किया गया हो, जिसके प्रत्येक पेज पर ए से बी हस्ताक्षर उनके हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श ए 1 वसीयत बेनीगोपाल गर्ग के द्वारा ना तो निष्पादित किया गया और ना ही इस पर हस्ताक्षर भी ए से बी बेनीगोपाल के है, के कथन किये हैं।

12. प्रतिवादीगण की ओर से अपने प्रतिवाद–पत्र के समर्थन में कुल 07 गवाहान को परीक्षित कराया गया हैं, **जिनमें से डी.डब्ल्यू 1 प्रवीण गर्ग, जो कि हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में संस्थित है, ने अपने शपथ पत्र में प्रतिवाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है।** उक्त गवाह ने अपने शपथ पत्र में वाद में विरचित विवाद्यक संख्या 1, 4 व 5 के संबंध में मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि उसके स्वर्गीय पिता बेनीगोपाल ने मृत्यु से पूर्व वसीयतनामा तारीख 12 जनवरी, 2010 का तहरीर व तकमील किया और वसीयतनामा से

इस जायदाद एवं चल सम्पत्तियों का विभाजन कर हम चारों वारिसानों को बराबर हक देने हेतु अलग–अलग हिस्से न्यागमित किये। उक्त वसीयत के अनुसार गवाह को पोर्शन नम्बर 5, प्रतिवादी संख्या 3 को पोर्शन नम्बर 4, वादिया को पोर्शन नम्बर 3, प्रतिवादी संख्या 2 को पोर्शन नम्बर 1 व 2 दिया। चल सम्पत्ति भी पिताजी की मृत्यु के बाद बराबर–बराबर देने की वसीयत की। पिताजी द्वारा पीछे छोड़ी गयी समस्त चल सम्पत्ति भी प्रतिवादिया संख्या 3 के पास ही रही। गवाह की बहन प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जो वसीयत दिनांक 14.03.2007 का हवाला दिया गया है और पेश कर विवादित सम्पत्ति स्वयं मात्र की होना दर्शाया गया है, वह पूर्णतया मिथ्या मात्र होकर कूटरचित व निराधार है। ऐसी कोई वसीयत बेनीगोपाल द्वारा निष्पादित नहीं की। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14.03.2007 की वसीयत मिथ्या व झूठी है, के कथन किये हैं। **विद्वान अधिवक्ता वादिया की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किये हैं कि** प्रदर्श ए 1 वसीयत की नकल प्रतिवादी संख्या 3 प्रीति उर्फ रजनी को देने के बाद भी जायदाद में हमारा हिस्सा उसने नहीं दिया। प्रीति उर्फ रजनी ने यह नहीं कहा था कि यह जायदाद हमारे पिता ने उनके नाम वसीयत कर दी है, इसलिए बाहर निकल जाओ। दिनांक 14.03.2007 की मेरे पिता के द्वारा निष्पादित वसीयत मैंने नहीं देखी। मुझे याद नहीं है कि मेरे शपथ पत्र दिनांक 16.05.2025 को पढ़ने के बाद मैंने हस्ताक्षर किये या नहीं। वर्तमान केस में रजनी के द्वारा पेश किया गया जवाबदावा मैंने आज तक नहीं पढ़ा। यह कहना सही है कि प्रदर्श ए 4 पर ए से बी हस्ताक्षर मेरे पिताजी के नहीं है। मेरे पिताजी जो एल.आई.सी.कॉलोनी में जायदाद छोड़कर गये, उसमें प्रार्थना व उसके पति अनिल मित्तल, प्रवीण, प्रीति व प्रतिज्ञा चारों का हिस्सा है, के कथन किये हैं। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि** मेरे को यह जानकारी नहीं है कि प्रीति उर्फ रजनी के पक्ष में कोई वसीयतनामा लिखा गया हो। मेरे इस प्रोपर्टी में 1/25 हिस्सा है, जो 1/4 है। जब प्रीति की वसीयत का ही मुझे पता नहीं तो किसलिए बनायी यह मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि प्रीति ने जो वसीयत बनायी वह हड़प करने की इच्छा से बनायी है, के कथन किये है। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि** प्रदर्श ए 4 वसीयत कभी भी बेनीगोपाल गर्ग द्वारा नहीं लिखी गयी। प्रदर्श ए 4 पर जो ए से बी हस्ताक्षर बताये गये हैं, जो मेरे पिता बेनीगोपाल गर्ग के नहीं है। प्रदर्श ए 4 फर्जी तैयार किया गया है, जो कि मेरा हिस्सा छीनने के लिए तैयार किया गया है। प्रदर्श ए 4 किसी विभाग में नोटेरी किया हुआ एवं किसी विभाग में पंजीकृत किया हुआ नहीं है, यह बात सही है, के कथन किये हैं। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि** प्रदर्श ए 4 के जरिये सी से डी में लिखे गये तथ्य

मेरे पिताजी के अनुसार मुझे गर्ग मौहल्ला, नला बाजार, अजमेर वाली सम्पत्ति मुझे दी गई, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श ए 4 वसीयतनामा मेरी जानकारी में आने के बाद भी मैंने आज तक कोई भी फौजदारी व दीवानी मुकदमा नहीं किया। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि प्रदर्श ए 4 मेरे पिताजी ने राजीखुशी स्वैच्छा से निष्पादित किया है, के कथन किये हैं।

13. **गवाह डी.डब्ल्यू 3 राजेश गोयल जो कि गवाह डी.डब्ल्यू 1 की बहन का पति है, ने भी गवाह डी.डब्ल्यू 1 प्रवीण गर्ग के समान ही अपने शपथ–पत्र में कथन किये हैं।** उक्त गवाह ने अपने शपथ–पत्र में मुख्य रूप से अपने ससुर द्वारा मृत्यु पूर्व निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 12.01.2010 का हवाला देते हुए अपने ससुर की संतानों को वसीयत में अंकितानुसार हिस्सा देने का कथन करते हुए वसीयत दिनांक 14.03.2007 का कूटरचित व फर्जी होने के तथ्य अंकित किये हैं। उक्त गवाह ने वसीयत दिनांक 14.03.2007 केवल मात्र सम्पत्ति हड़पने की मंशा से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा तैयार करवायी गयी है, के कथन किये हैं। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि** प्रोपर्टी के लिए मेरे ससुर साहब ने वसीयत दिनांक 12.01.2010 लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे चार बच्चे हैं और चारों का सम्पत्ति में बराबर का हक होगा। प्रदर्श ए 1 वसीयत वही है, जो मेरे ससुर साहब ने लिखी थी। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि मेरी पत्नी प्रीति के नाम वसीयतनामा हुआ हो। विवादित सम्पत्ति पर हमारा भी कब्जा था, बेनीगोपाल के मरने के बाद, के कथन किये है। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि** यह बात सही है कि मेरे साक्ष्य का शपथ–पत्र दिनांक 23.09.2025 में ए से बी तमाम तथ्य मेरी पत्नी ने मुझे बताये वहीं लिखाये हैं। **यह बात सही है कि जो मेरी पत्नी ने मुझे जो जानकारी दी, वही जानकारी मुझे हुई।**

14. **गवाह डी.डब्ल्यू 2 प्रतीक्षा गोयल, जो कि हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संयोजित है, ने अपने मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में मुख्य रूप से कथन किये हैं कि** बैणीगोपाल ने मृत्यु से पूर्व वसीयतनामा दिनांक 12.01.2010 को निष्पादित कर वादग्रस्त सम्पत्ति एवं चल सम्पत्तियों का विभाजन बराबर किया था। वसीयत निष्पादन के पश्चात मूल वसीयत बैणीगोपाल ने उसे दी थी। दिनांक 18.10.2011 को प्रतिवादी संख्या 3 ने दादागिरी कर वादिया, प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसे मकान से निकाल दिया, इस पर उसने प्रतिवादी संख्या 3 को उक्त वसीयत की प्रतिलिपि भी दी, पर वह नहीं मानी और कहा कि बेनीगोपाल ने कोई वसीयत नहीं की। वसीयत दिनांक 14.03.2007 को बेनीगोपाल ने निष्पादित नहीं की है। तथाकथित वसीयत कूटरचित व निराधार है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित सम्पत्ति में

अपने संयुक्त व अविभाजित 1/4 हक व हिस्से यानी पूर्ण सम्पत्ति में निहित आधे हिस्से के हस्तानान्तरण बाबत एक पंजीकृत मुख्तयारनामाआम दिनांक 30.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 के हक में निष्पादित कर उसे हस्तानान्तरण बाबत अधिकृत किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 ने दो पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2022 को 1/4 हिस्से का बेचान स्वयं को एवं 1/4 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 5 को कर दिया है, के कथन किये हैं। **विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि** प्रदर्श ए 1 वसीयतनामा पर हस्ताक्षर मेरे पिताजी के है, के कथन किये हैं। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–4 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि** हम वसीयत प्रदर्श ए 1 जो हमारे पक्ष में बेनीगोपाल ने की थी, उससे हम मालिक है। मैंने तो अपना हिस्सा बेचान कर दिया था। वादग्रस्त सम्पत्ति में 1/4 मेरा हिस्सा है और मेरे भाई का भी 1/4 हिस्सा है, के कथन किये हैं। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–5 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि** यह सही है कि प्रदर्श ए 4 वसीयतनामा कभी भी बेनीगोपाल गर्ग मेरे पिताजी ने नहीं लिखी है और ना ही उन्होंने ऐसी वसीयत लिखी है, ए से बी बेनीगोपाल गर्ग मेरे पिताजी के हस्ताक्षर नहीं है। मेरे हिस्से को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रदर्श ए 4 प्रीति अग्रवाल द्वारा तैयार किया गया है। यह सही है कि बेनीगोपाल के द्वारा कभी भी प्रतिवादी संख्या 3 के हक में वसीयत निष्पादित नहीं करी है, के कथन किये हैं। **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि** यह मुझे जानकारी नहीं है कि 17/435 सम्पत्ति गर्ग मौहल्ला उतार घसेटी, नला बाजार, अजमेर को मेरे पिताजी ने मेरे भाई प्रवीण गर्ग को दी हो। मेरी दादीजी ने सोना चांदी मेरे पिताजी को दिया था। सोना–चांदी प्रीति को दिया था। उस समय प्रीति मौजूद थी व प्रार्थना भी मौजूद थी। प्रीति अग्रवाल का मैं सोना चांदी देना बता रही हूँ तो वह प्रीति जबरदस्ती लेकर भाग गयी। यह वर्ष 2011–12 की घटना है। मैं किशन गुर्जर के हस्ताक्षर व हस्तलिपि नहीं जानती हूँ। यह मुझे जानकारी नहीं है कि प्रदर्श ए 4 मेरे पिताजी ने राजीखुशी स्वेच्छा से निष्पादित किया है, के कथन किये हैं।

15. **गवाह डी.डब्ल्यू 3/1 श्रीमती प्रीति अग्रवाल जो कि हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में संस्थित है, ने अपने शपथ–पत्र में मुख्य रूप से सारतः कथन किये हैं कि** वादग्रस्त सम्पत्ति के एक मात्र मालिक उसके पिता बेनीगोपाल थे। उसके पिता ने उसके पक्ष में वसीयत दिनांक 14.03.2007 जो कि संदीप अग्रवाल एडवोकेट से बताये अनुसार तैयार करवायी, उसके पश्चात सम्पूर्ण वसीयतनामा को पढ़कर कुछ कथन जो कि अनावश्यक थे, उनको उसके पिता ने अपने स्वयं के हाथ से काटकर संशोधित अपनी हस्तलिपि में कर गवाह

Authenticated Document

हंसराज फागन व श्रीमती सरोज जूडित को बुलवाकर हस्ताक्षर श्री किशन गुर्जर एडवोकेट की उपस्थिति में पूर्ण रूप से पढ़ व समझकर प्रत्येक पेज पर पहले स्वयं कर बाद में गवाहान व अन्य के करवाये। गवाह हंसराज, श्रीमती सरोज एवं किशन गुर्जर के हस्ताक्षर व हस्तलिपि पहचानती है। दिनांक 14.03.2007 को जब मेरे पिताजी ने वसीयत निष्पादित की तो वह मानसिक रूप् से पूर्णतः स्वस्थ थे और सोच समझकर प्रदर्श ए 4 वसीयतनामा निष्पादित किया। वसीयतनामा के अंतिम पेज पर उसके पिता ने अंगुठा निशानी भी हंसराज, श्रीमती सरोज व किशन गुर्जर की उपस्थिति में की। मकान 2 बेणी विला जीवन बिहार कॉलोनी, आनासागर सरक्यूलर रोड़, गेटवेल हॉस्पिटल के सामने, वैशाली नगर, अजमेर की एक मात्र मालिक उसके पिता के देहान्त के बाद वसीयत दिनांक 14.03.2007 के निष्पादन एवं प्रभाव में आने से वह हो गई। उसके पिता ने वसीयत निष्पादित की तो मात्र वह ही वसीयत उसके पिता ने निष्पादित की और अन्य कोई वसीयत उसके पिता ने निष्पादित नहीं की। उसके पिता ने दिनांक 12.01.2010 को वसीयत निष्पादित नहीं की। दिनांक 12.01.2010 की वसीयत कूटरचित, जाली, फर्जी है, जिस पर उसके पिता के हस्ताक्षर नहीं है। उसके पिता ने अपने जीवनकाल में केवल मात्र एक ही वसीयत दिनांक 14.03.2007 की निष्पादित की है, जिसकी जानकारी श्रीमती प्रार्थना मित्तल, श्रीमती प्रतीक्षा गोयल एवं प्रवीण गर्ग को थी एवं है। पिता के देहान्त के बाद एक मात्र मालिकाना हक व कब्जा उसका होने से वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त नहीं होने से उसका बंटवारा नहीं हो सकता है। **प्रतीक्षा गोयल एवं प्रवीण गर्ग ने शून्य, अवैध मुख्तयारनामा दिनांक 30.11.2022 बनाया है। उक्त मुख्तयारनामे के आधार पर दो विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2022 भी अवैध व शून्य है, क्योंकि वाद दायर होकर रजिस्टर्ड हो गया था।** प्रतीक्षा गोयल एवं प्रवीण गर्ग को कोई हक, अधिकार वादग्रस्त सम्पत्ति में नहीं होने के बावजूद उन्होंने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किये हैं, उनसे उन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, के कथन किये हैं।

विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस कथन को सही बताया कि प्रदर्श ए 4 वसीयत की कोई भी लिखावट व हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी मेरे सामने नहीं हुई। सरोज जूडित को मैंने कभी भी हस्ताक्षर करके नहीं देखा। मुझे सरोज जूडित के निवास का वर्तमान पता एक्यूरेट पता नहीं है। जिस समय प्रदर्श ए 4 वसीयत लिखी गई तब सरोज जूडित किस पते पर निवास करती थी, यह मुझे ध्यान नहीं है। प्रदर्श ए 4 पर अंतिम पेज पर यू से वी लिखावट श्री संदीप अग्रवाल की हस्तलेख में है। यह कहना गलत है कि यू से वी लिखावट मेरे सामने लिखी गई हो। मुझे यह पता नहीं है कि संदीप अग्रवाल ने यह वसीयत प्रदर्श ए 4 कहां पर लिखी। मैंने संदीप अग्रवाल को वसीयत लिखते या अन्य किसी कागज पर

लिखावट लिखते नहीं देखा। प्रदर्श ए 4 वसीयत के तमाम पेजों पर कटिंग, कांटा–फांसी मेरे पिताजी ने मेरे सामने नहीं की। प्रदर्श ए 4 वसीयत के पृष्ठ संख्या 1 पर ए 1 से बी 1 के मध्य लिखावट किसके हाथ की है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इसी प्रकार वसीयत प्रदर्श ए 4 के पृष्ठ संख्या 2 पर सी 1 से डी 1, ई 1 से एफ 1 और जी 1 से एच 1 लिखावट किसके हाथ की है, मुझे ध्यान नहीं है। प्रदर्श ए 4 वसीयत के पृष्ठ संख्या 4 पर आई 1 से जे 1 लिखावट किसके हाथ की है, मुझे ध्यान नहीं। इस वसीयत प्रदर्श ए 4 का हिस्सा के 1 से एल 1 के मध्य लिखावट किसके हाथ की है, यह मुझे ध्यान नहीं। एफ.डी.आर., एम.आई.एस. प्रतीक्षा गोयल ले गयी। तारीख, महीना मुझे ध्यान नहीं, सन् 2010 की बात है। यह कहना सही है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 पर ई से एफ हस्ताक्षर व लिखावट हंसराज फागन ने मेरे सामने नहीं किये हैं। हंसराज फागन को मैंने कभी लिखते, पढ़ते, हस्ताक्षर करते किसी कागज पर नहीं देखा। मैंने किशन गुर्जर को लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते नहीं देखा है। यह कथन सही है कि वर्तमान मुकदमे में पहले मेरे वकील साहब किशन गुर्जर थे। यह सुझाव सही है कि प्रदर्श ए 1 वसीयत मेरे सामने नहीं लिखी गई। वसीयत प्रदर्श ए 4 न्यायालय में दिनांक 25.05.2023 को पेश हुई। मुझे नहीं मालुम कि मेरे पिताजी जब भी हस्ताक्षर करते थे, तो हस्ताक्षर के नीचे ब्रेकिट लगाकर अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में अपना नाम लिखते थे। मुझे याद नहीं है कि मेरे पिताजी के लकवा दाहिने गाल पर हुआ था या बांये गाल पर। मुझे पता नहीं है कि प्रदर्श ए 4 वसीयत पर मेरे पिताजी ने अंगूठा निशानी दाहिने हाथ से की या बांये हाथ से की। यह सुझाव सही है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 के पृष्ठ संख्या 6 का हिस्सा एक्स से एक्स व वाई से वाई के मध्य की लिखावट पानी गिरने से खराब हो गई एवं इसका आकार इस पृष्ठ संख्या 6 की पुश्त पर एक्स से एक्स व वाई से वाई के मध्य आ गया। **प्रदर्श ए 4 वसीयत के पृष्ठ संख्या 6 की पुश्त पर ए से बी के मध्य अंगूठा निशानी किसकी करी हुई है, मुझे ध्यान नहीं, के कथन किये हैं।**

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस कथन को सही बताया कि शादी के बाद मैं नसीराबाद में ही निवास करती थी। यह बात सही है कि मेरी माताजी का देहान्त से पहले प्रदर्श ए 4 वसीयत दिनांक 14.03.2007 की जानकारी मेरी माताजी को थी। यह बात सही है कि प्रदर्श ए 4 पर मेरी माताजी के हस्ताक्षर नहीं होकर उनकी लिखावट में नहीं है। **यह बात सही है कि असल वसीयत इस प्रकरण में दिनांक 25.05.2023 को पेश की गई, इसके पहले असल वसीयत पेश नहीं की गई। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रदर्श ए 4 की प्रतिलिपि मेरे भाई बहनों को नहीं दी गई।** गवाह ने शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 3 के सी से डी भाग के मध्य अंकित कथनों को विस्तार से बताये

जाने बाबत प्रश्न पूछे जाने पर गवाह ने उत्तर दिया है कि **मेरे पिताजी ने जब यह वसीयत निष्पादित कर दी थी, उसी दिन मेरी माताजी को इसकी जानकारी दी थी और मेरी दोनों बहनों को इसकी प्रतिलिपि के साथ जानकारी दी थी और जैसे कि मेरा भाई आया जाया करता था, तो जब वो बाद में आया तो उसको भी प्रतिलिपि के साथ जानकारी दी थी। यह कहना सही है कि उक्त वसीयत प्रदर्श ए 4 मेरे सामने निष्पादित नहीं हुई थी। निश्चित तारीख, महिना, दिन मुझे आज याद नहीं है, जब यह वसीयत प्रदर्श ए 4 लिखी गई। यह कहना सही है कि प्रदर्श ए 4 वसीयत पर जब हस्ताक्षर हुए, मैं मौजूद नहीं थी।** गवाह से वसीयत के पृष्ठ संख्या 1 से 5 के पीछे टाईपशुदा कथन होने के बाबत प्रश्न पूछे जाने पर गवाह ने उत्तर दिया है कि यह मुझे टाईपशुदा कथन की जानकारी नहीं है कि यह किस संबंध में है। **यह बात सही है कि यह प्रदर्श ए 4 वसीयत मुझे मेरे पिता द्वारा दी गई, उस समय यह लेमिनेटेड नहीं थी। उक्त लेमिनेशन किसने कराया मुझे आज ध्यान नहीं है। गवाह से वसीयत पर जगह जगह कांटा–फांसी होने पर किसी प्रकार के लघु हस्ताक्षर नहीं होने बाबत प्रश्न पूछे जाने पर गवाह ने उक्त प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि वसीयत में की गई कांटा–फांसी पर लघु हस्ताक्षर या हस्ताक्षर नहीं है। गवाह ने वसीयत पर जो अंगूठा निशानी अपने पिता की होना कथन किया है, उसके संबंध में किये गये प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि यह अंगूठा निशानी उसके पिता ने उसके सामने नहीं की।** गवाह से अपने भाई प्रवीण के गुमशुदा होने पर उसके लौटकर नहीं आने पर उसका हिस्सा उसे प्राप्त होने बाबत अंकित कथन के बारे में प्रश्न किये जाने पर गवाह ने उक्त प्रश्न का उत्तर यह दिया है कि उसके पिताजी ने वसीयत में क–5 से ख–5 भाग सही लिखा है और मैंने हिस्से प्राप्ति बाबत कोई कार्यवाही नहीं की है। यह सही है कि मैंने प्रोबेट बाबत कोई कार्यवाही नहीं की, के कथन किये हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 मेरे सामने नहीं लिखा गया था। प्रदर्श ए 4 वसीयत में जो भी कांटा–फांसी हुई है, वो मेरे सामने नहीं हुई थी। प्रदर्श ए 4 वसीयत में जो गवाह हंसराज फागन व सरोज जूडित को जब बुलाया मेरे पिताजी ने, तब मैं घर पर ही थी। **यह कहना गलत है कि प्रदर्श ए 1 वसीयत पर मेरे पिता के हस्ताक्षर हो। यह बात सही है कि प्रदर्श ए 1 वसीयत में कोई कांटा–फांसी नहीं है, के कथन किये हैं।**

16. **प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये अन्य गवाह डी.डब्ल्यू 3/2 हंसराज फागन जो कि हस्तगत वाद में वसीयत प्रदर्श ए 4 का गवाह है, ने अपने शपथ–पत्र में सारतः यह कथन किया है कि** उसका बेनीगोपाल के घर आना जाना था। बेनीगोपालजी ने वसीयत प्रदर्श ए 4 दिनांक 14.03.2007 को राजीखुशी से बिना किसी दबाव के निष्पादित कर उस पर ए से

बी हस्ताक्षर बेनीगोपाल के तथा श्रीमती सरोज जुडित, किशन गुर्जर, संदीप अग्रवाल की मौजूदगी में अंतिम पृष्ठ पर बेनीगोपाल ने अंगूठा निशानी करने एवं इस पर इन सभी के हस्ताक्षर होने के कथन किये हैं। उक्त गवाह ने अपने शपथ पत्र में यह भी कथन किये हैं कि बेनीगोपाल ने जो संशोधन करना उचित समझा वह संशोधन अपनी हस्तलिपि में काटकर किये। **संदीप अग्रवाल ने वसीयत प्रदर्श ए 4 बेनीगोपाल गर्ग के बतायेनुसार ही लिखी,** उस सम्पूर्ण को पढ़कर ही बेनीगोपाल गर्ग ने वसीयत में स्वेच्छा से जो काटना उचित समझा व काटा तथा जो संशोधन करना उचित समझा, वह संशोधन किया। उक्त गवाह ने प्रत्येक पृष्ठ पर बेनीगोपाल की अंगूठा निशानी होने बाबत कथन किये हैं।

विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 की लिखा पढ़ी मेरे सामने हुई थी। वसीयत पर सारा लेख बेनीगोपाल का खुद का है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श ए 4 लिखी गई उस समय श्रीमती प्रीति अग्रवाल वहां बैठी हो। वसीयत प्रदर्श ए 4 की लिखा पढ़ी होने के बाद बेनीगोपाल ने अपने पास ही रखी थी, के कथन किये हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 के विद्वान अधिवक्तागण ने विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से उक्त साक्षी से की गई जिरह को ही स्वीकार किया है।

17. **प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेश किये गये अन्य प्रतिवादी साक्षी डी 2 डब्ल्यू 3 गिरीश कुमार, जो कि हस्तगत वाद में प्रदर्शित वसीयतनामा प्रदर्श ए 1 दिनांकित 12.01.2010 का साक्षी है, को पेश कर परीक्षित कराया है।** उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र में सारतः यह कथन किया है कि बेनीगोपालजी ने मृत्यु से पूर्व वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत वसीयतनामा दिनांक 12.01.2010 को तहरीर व तकमील कर चल सम्पत्तियों का विभाजन अपने चारों वारिसान को बराबर हक देने हेतु अलग अलग हिस्से न्यागमित किये। वसीयत निष्पादन के पश्चात मूल वसीयत उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 को दे दी। वसीयत पर बेनीगोपाल ने उसके समक्ष हस्ताक्षर किये और उसने भी उस पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये थे। बेनीगोपाल द्वारा बिना किसी जोर, दबाव व छल के वसीयत का निष्पादन स्वेच्छा से स्वस्थ मनचित्त से किया। उक्त वसीयत ही बेनीगोपाल की अंतिम व एक मात्र वसीयत है, के कथन किये हैं।

विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वसीयत प्रदर्श ए 1 पर पहले बृजेश के हस्ताक्षर हुए, फिर मेरे हस्ताक्षर हुए, फिर बेनीगोपाल ने हमारे सामने हस्ताक्षर किये। यह कहना सही है कि प्रदर्श ए 4 वसीयत पर ए से बी हस्ताक्षर बेनीगोपाल के नहीं है। मैंने, बृजेश ने बेनीगोपाल के साथ–साथ हमारी मर्जी से उनके कहेनुसार

Authenticated Document

हस्ताक्षर किये।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह बात सही है कि वसीयतनामा पर हस्ताक्षर मैंने अपनी इच्छा से किये थे। वसीयत के समय बेनीगोपाल पूर्ण होश हवास में थे। बेनीगोपाल ने कहा था कि मैं सभी को बराबर–बराबर हिस्सा बांट रहा हूँ।

उक्त गवाह से प्रतिवादी संख्या–5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की जिरह नहीं की गई है और **विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने इस कथन को गलत बताया कि प्रदर्श ए 1 पर ए से बी हस्ताक्षर बेनीगोपाल जी के हो।** मेरे मुताबिक बेनीगोपाल ने मेरे समक्ष केवल एक बार ही हस्ताक्षर किये। **यह बात सही है कि प्रदर्श ए 1 मैंने माननीय न्यायालय में आज ही देखा है, जो मैंने बेनीगोपाल के हस्ताक्षर बताये तो मेरे मुताबिक उस समय हम तीन ही मौजूद थे। बेनीगोपाल को आज तक लिखते–पढ़ते नहीं देखा। मैं यह नहीं बता सकता कि प्रदर्श ए 4 पर जो ए से बी बेनीगोपाल के हस्ताक्षर है, तो बेनीगोपाल ऐसे ही हस्ताक्षर करते थे, के कथन किये गये हैं।**

18. **हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 4 रजीयार सिंह बेदी ने स्वयं को डी.डब्ल्यू 4/1 के रूप में पेश कर परीक्षित कराया है। उक्त गवाह ने साक्ष्य में पेश किये गये शपथ–पत्र में सारतः यह कथन किया है कि** उसके द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का 2/4 हिस्सा मुख्तयारनामा प्रदर्श डी–5 से मालिक व काबिज होकर वादग्रस्त सम्पत्ति के एक हिस्से को प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2022 निष्पादित करने, जिससे प्रतिवादी संख्या–5 उक्त सम्पत्ति के भाग का मालिक व स्वामी होकर काबिज होने का कथन किया है। उक्त गवाह ने अपने शपथ पत्र में उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से जरिये मुख्तयारनामा खरीदने का कथन किया है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का वादग्रस्त सम्पत्ति के कुल भाग 2/4 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त गवाह से विद्वान अधिवक्ता वादी, विद्वान अधिवक्तागण प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 की ओर से कोई जिरह नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह से मुख्तयारनामा बाबत पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कथन किया है कि प्रदर्श बी–1 जनरल मुख्तयारनामा है, बेचाननामा नहीं है, के कथन करते हुए विचारणीय तीनों विवाद्यकों के संबंध में किसी भी प्रकार की जिरह उक्त गवाह से नहीं की गई है।

19. विद्वान अधिवक्ता वादिया की ओर से बहस के दौरान मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये गये हैं कि वादग्रस्त सम्पत्ति उसके व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से क्रय की गई थी। स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग की

Authenticated Document

मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त सम्पत्ति में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का विधिक वारिसान होने के आधार पर प्रत्येक का बराबर–बराबर हक अर्थात 1/4–1/4 हिस्सा है। उनका यह भी तर्क है कि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग ने अपने जीवनकाल में किसी भी प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है, ना ही अन्य कोई वैध दस्तावेज सम्पत्ति के बाबत निष्पादित किया गया है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त सम्पत्ति स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के निधन के पश्चात निर्वसीयती रूप से छोड़े जाने के कारण वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति है। उनका यह भी तर्क है कि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग व उनकी पत्नी ने अपनी स्वअर्जित आय, स्त्रीधन इत्यादि में कुल 250 तोला सोने के जेवर, 80 चांदी के सिक्के, पांच किलो चांदी के विभिन्न जेवरात, घरेलू रोजमर्रा का सामान, फर्नीचर, बर्तन इत्यादि भी निर्वसीयती रूप से छोड़कर गये हैं, जो भी वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति है, जो प्रतिवादी संख्या 3 के पास है। उनका यह भी तर्क है कि वादग्रस्त सम्पत्ति में किरायेदार है, जिसका किराया भी प्रतिवादी संख्या 3 ही प्राप्त कर रही है जिसमें भी वादी व अन्य प्रतिवादीगण का हक, हिस्सा निहित है, जो वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उनका यह भी तर्क है कि वादग्रस्त सम्पत्ति व अन्य चल सम्पत्ति के विभाजन की मांग प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से करने पर भी उन्होंने वादग्रस्त सम्पत्ति व अन्य चल सम्पत्ति का विभाजन कर उसका 1/4 हिस्सा उसे नहीं दिया है। उनका यह भी तर्क है कि वादिया के पिता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 12.01.2010 एवं दिनांक 14.03.2007 को कोई भी वसीयत निष्पादित नहीं की है। हस्तगत वाद में वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में जो वसीयत प्रदर्श ए 1 दिनांकित 12.01.2010 की पेश की गई है, वह तथाकथित वसीयत वादिया के पिता द्वारा निष्पादित नहीं की गई है। उक्त वसीयत के गवाह गिरीश कुमार ने की गई जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श ए 1 वसीयत पर ए से बी हस्ताक्षर बेनीगोपाल के नहीं है। इस प्रकार वसीयत प्रदर्श ए 1 के गवाह स्वयं ने ही उक्त कथाकथित वसीयत पर बेनीगोपाल के हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। उनका यह भी तर्क है कि हस्तगत वाद में एक अन्य वसीयत प्रदर्श ए 4 जो कि दिनांक 14.03.2007 को निष्पादित किये जाने बाबत कथन अंकित किये हैं, में भी कई जगह कांट छांट की गई है, जिस पर वसीयतकर्ता बेनीगोपाल गर्ग के हस्ताक्षर नहीं है। उनका यह भी कथन है कि तथाकथित वसीयत प्रदर्श ए 4 को प्रथम दृष्टया देखने मात्र से यह प्रकट होता है कि उक्त वसीयत कूटरचित रूप से छः पृष्ठों में निष्पादित किये जाने बाबत जो अभिकथन किये हैं, उसके संदर्भ में वसीयत के छः पृष्ठ में से पांच पृष्ठों के पीछे अन्य मुकदमों से संबंधित टंकित किये हुए हैं तथा पृष्ठ संख्या 6 पर जिन गवाहान हंसराज फागन व श्रीमती सरोज जुडित के समक्ष निष्पादित किये जाने बाबत जो कथन किये हैं, वे स्वीकार किये

Authenticated Document

जाने योग्य नहीं हे, क्योंकि श्रीमती सरोज जुडित के पिता/पति का नाम, पता का अंकन नहीं किया गया है, केवल मात्र नाम व हस्ताक्षर अंकित किया गया है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि वास्तव में सरोज जुडित कहां पर निवास करती थी और उसके पिता व पति का क्या नाम है, क्या वास्तव में उसके द्वारा उक्त तथाकथित वसीयत प्रदर्श ए 4 के संबंध में बतौर स्वतंत्र साक्षी स्वैच्छा से हस्ताक्षर किये गये हो?

उनका यह भी तर्क है कि कोई भी सामान्य प्रज्ञावान मनुष्य यदि वसीयत जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज का निष्पादन करता है तो वह एक ही प्रकार की स्याही व पेपरों का इस्तेमाल करता है, परन्तु हस्तगत तथाकथित वसीयत प्रदर्श ए 4 में पांच पृष्ठ जिनके पीछे अन्य मुकदमों की इबारत टंकित की हुई थी, के पीछे के पृष्ठ पर मुर्तिब की गई है और पृष्ठ संख्या 6 उक्त पांच पृष्ठों से भिन्न प्रकृति के पेपर पर निष्पादित की गई है, जो पूर्णतया कूटरचित, फर्जी, बनावटी होना पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होती है। उनका यह भी तर्क है कि उक्त दोनों वसीयत पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य फर्जी व कूटरचित साबित होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई विधिक अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वादिया अपने पिता स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग द्वारा छोड़ी गयी वादग्रस्त सम्पत्ति तथा अन्य चल सम्पत्ति का मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन करवाकर अपना 1/4 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी होकर वादग्रस्त सम्पत्ति में जो किरायेदार निवास करते है तथा उनसे जो किराया राशि प्राप्त होती है, उसमें भी वादिया अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उनका यह भी तर्क है कि वादिया अपने पिता की सम्पत्ति का जब तक मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर अंतिम रूप से विभाजन नहीं हो जाता, तब तक प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने की भी अधिकारिणी है। अतः विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 वादिया के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या–5 प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

न्यायिक दृष्टांत **AIR 1998 Supreme Court 2861 Gurdial Kaur and others Vs Kartar Kaur and others** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

> Succession Act (39 of 1925), S.61– Will – Execution of– Suspicious circumstances existing in respect thereof – Onus is on propounder of will to dispel same – Appellate court not accepting valid execution of will – Grounds that some of natural heirs were disinherited, legatees to will not saying anything about existence of said will and doubt as to executant

of will – Specific finding of appellate Court that suspicion as to execution was not dispelled – Hence order rejecting valid execution of will upheld.

न्यायिक दृष्टांत **AIR 1988 Delhi 273 Dinesh Kumar Vs Khazan Singh and others** में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

Succession Act (39 of 1925), S.61, S.63 –Evidence Act (1 of 1872), S.67, S.68 – Execution of Will – Genuineness – propounder has to prove genuiness and satisfy conscience of Court that there is no unconscionability –Testatrix appointing her husband sole legatee excluding her four sons and two daughters–

Testatrix dying after four years of execution and Will brought to light after 3 years of death– Complete secrecy maintained about Will – Only one attesting witness of two, was examined though other witness was also available – Draft of Will alleged to have been prepared and which was in existence prior to Will not examined – Held, that the Will was not genuine and hence grant of letters of administration was not valid.

न्यायिक दृष्टांत **AIR 1990 Supreme Court 1742 Ram Piari Vs Bhagwant and others** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

Succession Act (39 of 1925), S.61 – Will – Proof – Testator, father disinherited one daughter – Her happy marriage or financially well settlement could not add to genuineness of Will, especially when no finding of dire circumstances of other daughter was recorded by any Courts.

न्यायिक दृष्टांत **AIR Online 2020 SC 544 Kavita Kanwar Vs Pamela Mehta and Ors.** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

Succession Act (39 of 1925), S.61, S.218 – Grant of probate – Rejection on ground of suspicious circumstances – Plaintiff is daughter and defendants are son and elder daughter of testatrix – Testatrix assertion of having acted in accordance with "directions" in third page of Will, effectively knocked entire case of plaintiff down to bottom – Unnatural exclusion of defendants from estate, suspicious – Rejection, proper with costs quantified at Rs. 50,000/–.

न्यायिक दृष्टांत **2026 INSC 126 DORAIRAJ Vs. DORAISAMY (DEAD) THROUGH LRS AND OTHERS** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

Hindu Law – Joint Family Property – Acquisition of Property – Presumption of Joint Nature– Proof of Ancestral Property and Income–Yielding Nucleus – Once ancestral properties yielding income are established, and acquisitions are made during the subsistence of a joint family, the burden shifts to the claimant to prove self–acquisition.

Authenticated Document

The existence of a joint family and ancestral properties does not automatically make all acquisitions joint; however, if ancestral properties yielding income exist and acquisitions are made during the joint family's subsistence, properties acquired in the Karta's name are presumed joint unless proven otherwise.

Hindu Law – Partition – Severance of Joint Status – Separate enjoyment of portions, installation of irrigation facilities, or individual borrowings do not, by themselves, constitute a legal partition; a clear and unequivocal intention to sever joint status is required.

Alienations by a Karta in favour of a coparcener must be proven to be for legal necessity; vague recitals are insufficient to bind other coparceners, though actual expenses may be considered in final decree proceedings.

Will – Suspicious Circumstances – Genuineness of a Will can be doubted if the scribe's presence is questionable.

Impleadment of Parties —– Belated Applications – Impleading alleged heirs at a late stage of litigation, especially when substantial proceedings have attained finality, can unsettle matters and may be denied to maintain procedural discipline while balancing substantive justice.

Probate and Administration – Will–Approbate and Reprobate – A party cannot challenge the rejection of a Will at one stage and then seek to revive the issue in a subsequent appeal if the rejection had attained finality.

20. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से तर्क पेश किये गये हैं कि उनके पिता स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में वसीयत प्रदर्श ए 1 दिनांक 12.01.2010 को निष्पादित की थी, जिसके अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वादग्रस्त सम्पत्ति में अलग–अलग हिस्से प्रदान किये गये थे, जिसके अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपना–अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उनका यह भी तर्क है कि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल ने वसीयत प्रदर्श ए 4 निष्पादित नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 3 फर्जी व कूटरचित वसीयत प्रदर्श ए 4 के आधार पर सम्पत्ति में से उनका हिस्सा हड़प करना चाहती है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है। वसीयत प्रदर्श ए 4 की निरस्तगी बाबत सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उनका यह भी तर्क है कि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल द्वारा अन्तिम वसीयत प्रदर्श ए 1 दिनांकित 12.01.2010 निष्पादित की गई है। उक्त वसीयत के आधार पर ही उन्होंने अर्थात प्रवीण व प्रतीक्षा गोयल ने अपना हिस्सा 2/4 हिस्सा अर्थात 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत मुख्तयारनामा आम दिनांक 30.11.2022 प्रतिवादी संख्या 4 के हक में

Authenticated Document

निष्पादित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि उक्त पंजीकृत मुख्तयारनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 ने दो पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2022 को निष्पादित किये, जिसमें से एक विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 4 व दूसरा विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में जरिये मुख्तयारनामाआम निष्पादित किया गया है। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में जरिये मुख्तयारनामा आम के अन्तरित किया है, जो कि वसीयत प्रदर्श ए 1 के अनुसार विधिक रूप से किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा जरिये वसीयत प्रदर्श ए 1 प्राप्त हिस्से को अन्तरित किये जाने के कारण तथा स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल के निर्वसीयती देहान्त नहीं होने के कारण वादिया वादग्रस्त सम्पत्ति में मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होने से वादिया किसी भी प्रकार किराया व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 वादिया के विरूद्ध, विवाद्यक संख्या 4 स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या–5 प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध निर्णीत किये जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

न्यायिक दृष्टांत **1959 AIR 443 H. Venkatachala Lyendar Vs. B.N. Thimmajamma & Others** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> The propounder would be called upon to show by satisfactory evidence that the will was signed by the testator, that the testator at the relevant time was in a sound and disposing state of mind, that he understood the nature and effect of the dispositions and put his signature to the document of his own free will. Ordinarily when the evidence adduced in support of the will is disinterested, satisfactory and sufficient to prove the sound and disposing state of the testator's mind and his signature as required by law, courts would be justified in making a finding in favour of the propounder. In other words, the onus on the propounder can be taken to be discharged on proof of the essential facts just indicated.
>
> There may, however, be cases in which the execution of the will may be surrounded by suspicious circumstances. The alleged signature of the testator may be very shaky and doubtful and evidence in support of the propounder's case that the signature, in question is the signature of the testator may not remove the doubt created by the appearance of the signature; the condition of the testator's mind may appear to be very feeble and debilitated; and evidence adduced may not succeed in removing the legitimate doubt as to the mental

Authenticated Document

capacity of the testator; the dispositions made in the will may appear to be unnatural, improbable or unfair in the light of relevant circumstances; or, the will may otherwise indicate that the said dispositions may not be the result of the testator's free will and mind. In such cases the court would naturally expect that all legitimate suspicions should be completely removed before the document is accepted as the last will of the testator.

The presence of such suspicious circumstances naturally tends to make the initial onus very heavy; and, unless it is satisfactorily discharged, courts would be reluctant to treat the document as the last will of the testator. It is true that, if a caveat is filed alleging the exercise of undue influence, fraud or coercion in respect of the execution of the will propounded, such pleas may have to be proved by the caveators; but, even without such pleas circumstances may raise a doubt as to whether the testator was acting of his own free will in executing the will, and in such circumstances, it would be a part of the initial onus to remove any such legitimate doubts in the matter. Apart from the suspicious circumstances to which we have just referred, in some cases the wills propounded disclose another infirmity. Propounders themselves take a prominent part in the execution of the wills which confer on them substantial benefits. If it is shown that the propounder has taken a prominent part in the execution of the will and has received substantial benefit under it, that itself is generally treated as a suspicious circumstance attending the execution of the will and the propounder is required to remove the said suspicion by clear and satisfactory evidence.

It is in connection with wills that present such suspicious circumstances that decisions of English courts often mention the test of the satisfaction of judicial conscience. It may be that the reference to judicial conscience in this connection is a heritage from similar observations made by ecclesiastical courts in England when they exercised jurisdiction with reference to wills; but any objection to the use of the word 'conscience' in this context would, in our opinion, be purely technical and academic, if not pedantic. The test merely emphasizes that, in determining the question as to whether an instrument produced before the court is the last will of the testator, the court is deciding a solemn question and it must be fully satisfied that it had been validly executed by the testator who is no longer alive. It is obvious that for deciding material questions of fact which arise in applications for probate or in actions on wills, no hard and fast or inflexible rules can be laid down for the appreciation of the evidence. It may, however, be stated generally that a propounder of the will has to prove the due and valid execution of the will and that if there are any

Authenticated Document

> suspicious circumstances surrounding the execution of the will the propounder must remove the said suspicions from the mind of the court by cogent and satisfactory evidence.

न्यायिक दृष्टांत **AIR 1964 SUPREME COURT 529 SHASHI KUMAR BANERJEE & ORS. VS. SUBODH KUMAR BANERJEE SINCE DECEASED & AFTER HIM HIS L.RS. & ORS.** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

> The principles which govern the proving of a will are well settled; (see H. Venkatachala Iyengar v. B. N. Thimmajamma, 1959 (S1) SCR 426: 1959 AIR(SC) 443) and Rani Purniama Devi v. Khagendra Narayan Dev, 1962 (3) SCR 195: 1962 AIR(SC) 567). The mode of proving a will does not ordinarily differ from that of proving any other document except as to the special requirement of attestation prescribed in the case of a will by S. 63 of the Indian Succession Act. The onus of proving the will is on the propounder and in the absence of suspicious circumstances surrounding the execution of the will, proof of testamentary capacity and the signature of the testator as required by law is sufficient to discharge the onus. Where however there are suspicious circumstances, the onus is on the propounder to explain them to the satisfaction of the Court before the Court accepts the will as genuine. Where the caveator alleges undue influence, fraud and coercion, the onus is on him to prove the same. Even where there are no. such pleas but the circumstances give rise to doubts, it is for the propounder to satisfy the conscience of the Court. The suspicious circumstances may be as to genuineness of the signature of the testator, the condition of the testator's mind, the dispositions made in the will being unnatural improbable or unfair in the light of relevant circumstances or there might be other indication in the will to show that the testator's mind was not free. In such a case the Court would naturally expect that all legitimate suspicion should be completely removed before the document is accepted as the last will of the testator. If the propounder himself takes part in the execution of the will which confers a substantial benefit on him, that is also a circumstance to be taken into account, and the propounder is required to remove the doubts by clear and satisfactory evidence. If the propounder succeeds in removing the suspicious circumstances the Court would grant probate, even if the will might be unnatural and might cut off wholly or in part near relations. It is in the light of these settled principles that we have to consider whether the appellants have succeeded in establishing that the will was duly executed and attested.

न्यायिक दृष्टांत **AIR 1962 SC 567 Rani Purnima Devi & Another VS. kumar Khagendra Narayan Dev and Another** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह

सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

One K filed an application for the grant of letters of administration with the will attached. This will gave the entire property to K, a distant relation of the testator, subject to K maintaining the testator's widow and sister; other relations including the testator's daughter were completely left out. There were other suspicious circumstances surrounding the will viz., that the testator's signatures were not his usual signatures and were not in the same ink as the rest of the will and that the testator used to sign blank papers for use in his cases in court and used to send them to his lawyer through his servants. The will was later registered without the testator appearing before the sub–registrar and the sub–registrar only sending his clerk to the residence of the testator for the purpose. Out of 16 persons who signed the will as attesting witnesses only 4 were produced to prove the will. The trial court held that the will was duly executed and attested and ordered the issue of letters of administration with the will annexed to K. 'On appeal the High Co t affirmed the order of the trial court holding that the suspicious circumstances were dispelled by the registration of the will.

Held, that the due execution and attestation of the will were not proved. In view of the suspicious circumstances it was the duty of the propounder of the will to prove due execution and attestation by satisfactory evidence which would lead the court to the conclusion that the suspicious circumstances had been dispelled. This he had failed to do. The four attesting witnesses produced were interested and unreliable; none of the independent witnesses who bad signed the will were produced. The mere fact that the will was registered was not by itself sufficient to dispel the suspicions without scrutiny of the evidence of registration. Registration would dispel the doubt as to the genuineness of the will only if it was made in such a manner that it was brought home to the testator that the document of which he was admitting execution was a will disposing of his property and the testator thereafter admitted its execution and signed in token thereof. In the present case, the registration was done in a perfunctory manner and the evidence did not establish that the testator knew that the document the 196 execution of which he admitted before the sub–registrar's clerk was his will. The witnesses produced to prove registration, even if they are treated as attesting witnesses, failed to prove due execution and attestation of the will.

Authenticated Document

न्यायिक दृष्टांत **1974 AIR 1999 Surendra Pal & Ors. Vs. Sarawati Arora and Anr** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

> The propounder has to show that the will was signed by the testator : that he was at the relevant time in a sound disposing state of mind, that he understood the nature and effect of the dispositions, that he put his signature to the testament of his own free will and that he has signed it in the presence of the two witnesses who attested it in his presence and in the presence of each other. once these elements are established, the onus which rests on the propounder is discharged. But there may be cases in which the execution of the will itself is surrounded by suspicious circumstances, such as, where the signature is doubtful, the testator is of feeble mind or is overawed by powerful minds interested in getting his property, or where in the light of the relevant circumstances the dispositions appear to be unnatural, improbable and unfair, or where there are other reasons for doubting that the dispositions of the will are not the result of the testator's free will and mind. In all such cases where there may be legitimate suspicious circumstances those must be reviewed and satisfactorily explained before the will is accepted. Again in cases were the propounder has himself taken a prominent part in the execution of the will which confers on him substantial benefit that is itself one of the suspicious circumstances which he must remove by clear and satisfactory evidence. After all, ultimately it is the conscience of the Court that has to be satisfied, as such the nature and quality of proof must be commensurate with the need to satisfy that conscience and remove any suspicion which a reasonable man may, in the relevant circumstances of the case, entertain. See H. Venkatachala Iyengar v. B. N. Thimmajamma & Ors;(1) and Rani Purnima Devi and Anr v. Kumar Khagendra Narayan Dep & Another.(2) In the latter case this Court, after referring to the principles stated in the former case emphasised that where there are suspicious circumstances the onus will be on the propounder to explain them to the satisfaction of the Court before the will could be accepted as genuine; and where the caveator alleges undue influence, fraud and coercion the onus is on him to prove the same. It has been further pointed out that the suspicious circumstances may be as to the genuineness of the signature of the testator, the condition of the testator's mind, the dispositions made in the will which may be unnatural or unfair or improbable when considered.

Authenticated Document

न्यायिक दृष्टांत **1977 AIR 74 Jaswant Kaur Vs. Amrit Kaur & Ors.** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

> In cases where the execution.of a will is shrouded i.n.suspicion its proof ceases to be a simple lis between the plaintiff and the defendant. What generally is an adversary proceeding becomes in such cases a matter of the court's conscience. The presence of suspicious circumstances makes the initial onus heavier and, therefore, in cases where the circumstances attendant upon the execution of the will excite the suspicion of the court the propounder must remove all legitimate suspicions before the document can he accepted as the last will of the testator.
>
> A will has to be proved like any other document by applying the usual test of the satisfaction of the prudent mind.
>
> Since Section 63 of the Succession Act requires a will to be attested it cannot be used as an evidence until at least one of the attesting witnesses is examined, if available.
>
> Unlike other documents the will speaks from the death of the testator and, therefore, the maker of the will is never available for deposing as to the circumstances in which the will was executed. That circumstance introduces a certain amount of solemnity in proof of testamentany instruments.
>
> The testator was a man of property and occupied a high position in society. A genuine will of such a person is not likely to suffer from the loop–holes and infirmities which may beset an humbler testamentany instrument.
>
> The following circumstances throw a cloud of suspicion on the making of the will by Gobinder Singh:
>
> The will is alleged to have been made in 1945 but it did not see the light of the day till 1957. It is unacceptable that a document by which property worth lacs of rupees was disposed of could have remained a closely guarded secret from intimate friends and relatives and from the sole legatee him self for over 21/2 years after the testator's death.
>
> The testator had left behind him a large property and along with it large amount of litigation which makes it impossible to believe that upon his death no one bothered to go through his papers. The explanation of the defendant that he stumbled upon the will by chance while going through some papers of his grandfather is patently lame and unacceptable.

Authenticated Document

The defendant came out with the theory of will after the Hindu Succession Act of 1956 came into force as a result of which the plaintiff would become an absolute owner of the property that would fall to her share as the heir of her husband.

The will was typed Out on both sides of a single foolscap. paper and was obviously drafted by a lawyer. No evidence was led as to who drafted the will and who typed it out.

The will was attested by two persons, both of whom were strangers to the testator's family and neither of whom could give a proper account of the execution of the will. In fact they contradicted each other.

The two persons who are alleged to have been appointed executors were not examined, though available. Normally, the executors are not appointed without their consent or consultation.

The will is unnatural and unfair.

The will does not make mention of many of the near relations and descendants of the testator.

The plaintiff was excluded as an heir of the testator for the supposed reasons that she had brought disgrace to the Sibia family and that her behaviour was such as would not even bear a mention in the will. No evidence was led on the misconduct of the plaintiff.

The defendant in his evidence did not offer any explanation any of the suspicious circumstances.

न्यायिक दृष्टांत **1990 AIR 396 Kalyan Singh London Trained.. Vs. Smt. Chhoti & Ors.** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

It has been said almost too frequently to require repetition that a will is one of the most solemn documents known to law. The executant of the will cannot be called to deny the execution or to explain the circumstances in which it was executed. It is, therefore, essential that trustworthy and unimpeachable evidence should be produced before the court to establish genuineness and authenticity of the will. It must be stated that the factum of execution and validity of the will cannot be determined merely by considering the evidence produced by the propounder. In order to judge the credibility of witnesses and disengage the truth from false–hood the court is not confined only to their testimony and demeanour. It would be open to the court to consider circumstances brought out in the evidence or which appear from the nature and contents of the documents itself. It would be also open to the court to look into surrounding circumstances as well as inherent improbabilities of the case

Authenticated Document

to reach a proper conclusion on the nature of the evidence adduced by the party.

The Will in the instant case, constituting the plaintiff as a sole legatee with no right whatever to the testator's wife seems to be unnatural. It casts a serious doubt on the genuineness of the Will. The Will has not been produced for very many years before the Court or 358 public authorities even though there were occasions to produce it for asserting plaintiff's title to the property. The plaintiff was required to remove these suspicious circumstances by placing satisfactory material on record. He has failed to discharge his duty. This Court concurs with the conclusion of the High Court and rejects the Will as not genuine.

न्यायिक दृष्टांत **AIR 2003 Supreme Court 761 Janki Narayan Bhoir Vs. Narayan Namdeo Kadam** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

It is thus clear that one of the requirements of due execution of will is its attestation by two or more witnesses which is mandatory.

Section 68 of the Evidence Act speaks of as to how a document required by law to be attested can be proved. According to the said Section, a document required by law to be attested shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive, and subject to the process of the Court and capable of giving an evidence. It flows from this Section that if there be an attesting witness alive capable of giving evidence and subject to the process of the Court, has to be necessarily examined before the document required by law to be attested can be used in an evidence. On a combined reading of Section 63 of the Succession Act with Section 68 of the Evidence Act, it appears that a person propounding the will has got to prove that the will was duly and validly executed. That cannot be done by simply proving that the signature on the will was that of the testator but must also prove that attestations were also made properly as required by clause (c) of Section 63 of the Succession Act. It is true that Section 68 of Evidence Act does not say that both or all the attesting witnesses must be examined. But at least one attesting witness has to be called for proving due execution of the Will as envisaged in Section 63. Although Section 63 of the Succession Act requires that a will has to be attested at least by two witnesses, Section 68 of the Evidence Act provides that a document, which is required by law to be attested, shall not be used as evidence until one attesting

witness at least has been examined for the purpose of proving its due execution if such witness is alive and capable of giving evidence and subject to the process of the Court. In a way, Section 68 gives a concession to those who want to prove and establish a will in a Court of law by examining at least one attesting witness even though will has to be attested at least by two witnesses mandatorily under Section 63 of the Succession Act. But what is significant and to be noted is that that one attesting witness examined should be in a position to prove the execution of a will. To put in other words, if one attesting witness can prove execution of the will in terms of clause (c) of Section 63, viz., attestation by two attesting witnesses in the manner contemplated therein, the examination of other attesting witness can be dispensed with. The one attesting witness examined, in his evidence has to satisfy the attestation of a will by him and the other attesting witness in order to prove there was due execution of the will. If the attesting witness examined besides his attestation does not, in his evidence, satisfy the requirements of attestation of the will by other witness also it falls short of attestation of will at least by two witnesses for the simple reason that the execution of the will does not merely mean the signing of it by the testator but it means fulfilling and proof of all the formalities required under Section 63 of the Succession Act. Where one attesting witness examined to prove the will under Section 68 of the Evidence Act fails to prove the due execution of the will then the other available attesting witness has to be called to supplement his evidence to make it complete in all respects. Where one attesting witness is examined and he fails to prove the attestation of the will by the other witness there will be deficiency in meeting the mandatory requirements of Section 68 of the Evidence Act.

न्यायिक दृष्टांत **AIR 2007 Supreme Court 614 Niranjan Umeshchandra Joshi... Vs. Mrudula Jyoti Rao & Ors.** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

The burden of proof that the Will has been validly executed and is a genuine document is on the propounder. The propounder is also required to prove that the testator has signed the Will and that he had put his signature out of his own free will having a sound disposition of mind and understood the nature and effect thereof. If sufficient evidence in this behalf is brought on record, the onus of the propounder may be held to have been discharged. But, the onus would be on the applicant to remove the suspicion by leading sufficient and cogent evidence if there exists any. In

Authenticated Document

> the case of proof of Will, a signature of a testator alone would not prove the execution thereof, if his mind may appear to be very feeble and debilitated. However, if a defence of fraud, coercion or undue influence is raised, the burden would be on the caveator. [See Madhukar D. Shende v. Tarabai Shedage (2002) 2 SCC 85 and Sridevi & Ors. v. Jayaraja Shetty & Ors. (2005) 8 SCC 784]. Subject to above, proof of a Will does not ordinarily differ from that of proving any other document.
>
> There are several circumstances which would have been held to be described by this Court as suspicious circumstances :–
>
> When a doubt is created in regard to the condition of mind of the testator despite his signature on the Will;
>
> When the disposition appears to be unnatural or wholly unfair in the light of the relevant circumstances;
>
> Where propounder himself takes prominent part in the execution of Will which confers on him substantial benefit.

न्यायिक दृष्टांत **AIR 2009 Supreme Court 1766 Bharpur Singh & Ors Vs. Shamsher Singh** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

> That the Will was signed by the testator in a sound and disposing state of mind duly understanding the nature and effect of disposition and he put his signature on the document of his own free will, and
>
> when the evidence adduced in support of the Will is disinterested, satisfactory and sufficient to prove the sound and disposing state of testator's mind and his signature as required by law, Courts would be justified in making a finding in favour of propounder, and
>
> If a Will is challenged as surrounded by suspicious circumstances, all such legitimate doubts have to be removed by cogent, satisfactory and sufficient evidence to dispel suspicion.
>
> In other words, the onus on the propounder can be taken to be discharged on proof of the essential facts indicated therein.
>
> Suspicious circumstances like the following may be found to be surrounded in the execution of the Will:
>
> The signature of the testator may be very shaky and doubtful or not appear to be his usual signature.

Authenticated Document

> The condition of the testator's mind may be very feeble and debilitated at the relevant time.
>
> The disposition may be unnatural, improbable or unfair in the light of relevant circumstances like exclusion of or absence of adequate provisions for the natural heirs without any reason.
>
> The dispositions may not appear to be the result of the testator's free will and mind.
>
> The propounder takes a prominent part in the execution of the Will.
>
> The testator used to sign blank papers.
>
> The Will did not see the light of the day for long. Incorrect recitals of essential facts.
>
> The circumstances narrated hereinbefore are not exhaustive. Subject to offer of reasonable explanation, existence thereof must be taken into consideration for the purpose of arriving at a finding as to whether the execution of the Will had duly been proved or not.
>
> It may be true that the Will was a registered one, but the same by itself would not mean that the statutory requirements of proving the Will need not be complied with.

न्यायिक दृष्टांत **AIR 2015 Supreme Court 107 Leela Rajagopal & Ors Vs. Kamla Menon Cochran & Ors** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

> In the present case, a close reading of the Will indicates its clear language, and its unambiguous purport and effect. The mind of the testator is clearly discernible and the reasons for exclusion of the sons is apparent from the Will itself. Insofar as the place of execution is concerned, the inconsistency appearing in the verification filed alongwith the application for probate by PW–3 and the oral evidence of the said witness tendered in Court is capable of being understood in the light of the fact that the verification is in a standard form (Form No. 55) prescribed by the Madras High Court on the Original Side, as already noticed. Besides, in the facts of the present case the participation of the first respondent in the execution and registration of the Will cannot be said to be a circumstance that would warrant an adverse conclusion. The conduct of the first respondent in summoning her friend (PW–3) to be an attesting witness and in taking the testator to the office of the Sub Registrar should, again, not warrant any

Authenticated Document

adverse conclusion. It also cannot escape notice that the Will dated 11.1.1982 is identical with the contents of the earlier Will dated 28.12.1981. Insofar as the execution of the Will dated 28.12.1981 and its registration is concerned no active participation has been attributed to the first respondent. The change of the attesting witnesses and the non–examination of Seetha Padmanabhan who had attested the second Will dated 11.1.1982 has been sufficiently explained.

The lack of knowledge of English even if can be attributed to the testator would not fundamentally alter the situation inasmuch as before registration of the Will the contents thereof can be understood to have been explained to the testator or ascertained from her by the Sub Registrar, PW–4, who had deposed that such a practice is normally adhered to. The non–production of the original Will and reliance on the certified copy thereof is a circumstance which has been reasonably explained by the first respondent (plaintiff). The original Will, after its execution on 11.1.1982, was in the custody of the testator and it is only on the day or her death i.e. 27.4.1991 that the first respondent (plaintiff) could find that the Will was missing from the envelope marked 'KPP Will'. The stand of the plaintiff that the original Will was lost while in the custody of her mother and her knowledge of such loss on the day of her mother's death cannot be disbelieved merely because no report in this regard was lodged before the police.

All the unusual and allegedly suspicious circumstances being capable of being understood in the manner indicated above, we cannot find any fault with the conclusions reached by the High Court while reversing the judgment of the learned Trial Court.

21. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से तर्क पेश किये गये हैं कि वादिया वादग्रस्त सम्पत्ति का मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर किसी प्रकार का विभाजन करवाकर वादग्रस्त सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14.03.2007 को एक वसीयत प्रदर्श ए 4 प्रतिवादी संख्या–3 के पक्ष में निष्पादित की गई है। उनका यह भी तर्क है कि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल द्वारा दिनांक 12.01.2010 को जो तथाकथित वसीयतनामा प्रदर्श ए 1 निष्पादित किया जाना बताया गया है, वह पूर्णतया फर्जी एवं कूटरचित है, जिसके आधार पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का हक, अधिकार, स्वत्व

इत्यादि प्राप्त नहीं होते हैं, वरन वादग्रस्त सम्पत्ति की प्रतिवादी संख्या–3 जरिये वसीयत प्रदर्श ए 4 से एकल स्वामित्वधारी है। उनका यह भी तर्क है कि वादिया ने अपने वादपत्र में जिन सोने, चांदी के जेवरात इत्यादि का हवाला देकर उनका मीट्स एण्ड बाउंड के आधार पर विभाजन करवाने बाबत जो अनुतोष चाहा है, उस बाबत किसी भी प्रकार की ठोस एवं विश्वसनीय प्रलेखीय तथा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त सोने व चांदी के जेवरात इत्यादि वास्तव में स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल के स्वामित्व के होकर उनका मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन करवाया जा सकता हो। उनका यह भी तर्क है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 स्वयं स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल द्वारा गवाह हंसराज फागना व श्रीमती सरोज जुडित के समक्ष निष्पादित की गई है, जिस पर किशन गुर्जर, अधिवक्ता के हस्ताक्षर मय सील इस पृष्ठांकन के साथ किये गये हैं कि निष्पादक श्री बेनीगोपाल गर्ग ने मेरे सामने पढ़कर हस्ताक्षर किये, मैं निष्पादक की पहचान व हस्ताक्षर की सहमति की साक्षी थी, अंकित किया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का हक व अधिकार निहित नहीं होने के कारण उनके द्वारा जो मुख्तयारनामा आम प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित किया गया है, उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जो दो विक्रय पत्र निष्पादित किये गये हैं, वे अवैध व शून्य है। उनका यह भी तर्क है कि वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति न होकर प्रतिवादी संख्या–3 को जरिये वसीयत स्वर्गीय बेनीगोपाल गर्ग से प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं होने से मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन करवाने, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, ना ही वादिया कोई किराया प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 वादिया के विरूद्ध, विवाद्यक संख्या–4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध व विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादी संख्या–3 के पक्ष में निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

न्यायिक दृष्टांत **AIR 2008 (NOC) 1557 (M.P.) Bhagwati Tiwari & Anr. Vs. Makhanlal Yadav & 2 Ors** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

> Evidence Act (1 of 1872) S.58, 115 Facts admitted Need not be proved by other side Such admission of parties is always binding against them Such admission is also binding on principle of estoppel.

न्यायिक दृष्टांत **2023 LiveLaw (SC) 279 BALU SUDAM KHALDE AND ANOTHER versus THE STATE OF MAHARASHTRA** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने विधि का

यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

> Evidence Law – the suggestion made by the defence counsel to a witness in the cross–examination if found to be incriminating in nature in any manner would definitely bind the accused and the accused cannot get away on the plea that his counsel had no implied authority to make suggestions in the nature of admissions against his client.

न्यायिक दृष्टांत **AIR 1974 RAJASTHAN 69 SHANTILAL AGARWAL VS. SMT. RAMABAI AND OTHER** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

> Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act (23 of 1961), S.38, S.24(e) – Court–fees Act (7 of 1870), Sch.II Art.17(iii) – Suit by son challenging validity of will of his father on grounds of fraud and undue influence etc. – Suit held for declaration only and not for cancellation – Suit maintainable on fixed Court Fee – S.38 is not applicable.

न्यायिक दृष्टांत **2010 SAR (Civil) 402 Suhrid Singh @ Sardool Singh Vs. Randhir Singh & Ors.** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

> Court Fees Act, 1870–Secs. 6 and 7 (iv)(c)–Computation of Fees–Difference between a prayer for cancellation and declaration in regard to a sale deeds–Prayer is for a declaration that deeds not bind the "coparcenery" and for joint possession–Plaintiff in the suit was not the executant of the sale deeds–Whether High Court was justified in holding that the effect of the prayer was to seek cancellation of the sale deeds or the therefore court fee had to be paid on the sale consideration mentioned in sale deeds–Held : No.
>
> Court Fees– Difference between a prayer for cancellation and declaration in regard to a deed of transfer–Where the executant of deed wants it to be annulled, he has to seek cancellation of the deed–But if a non–executant seeks annulment of a deed, he has to seek declaration that deed is invalid that it is not binding him–Plaintiff in the suit was not the executant of the sale deeds–Court fee was not computable on the sale consideration mentioned in the sale deed.

न्यायिक दृष्टांत **2020 SCC ONLINE RAJ 2477Kedar Agarwal And Another Vs. Rajkumar Agarwal And Others** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

> Whether Section 24(b) of the Rajasthan Court Fees and Suit Valuation Act, 1961 or Section 24(e) of the same Act

applies to the present suit in which non–executant plaintiffs seek a declaratory decree that certain sale deeds are null and void against their rights.

The Hon'ble Apex Court of India has, in case of Suhrid Singh @ Sardool Singh (supra), held as under:–

Where the executant of a deed wants it to be annulled, he has to seek cancellation of the deed. But if a non–executant seeks annulment of a deed, he has to seek a declaration that the deed is invalid, or non–est, or illegal or that it is not binding on him. The difference between a prayer for cancellation and declaration in regard to a deed of transfer/conveyance, can be brought out by the following illustration relating to 'A' and 'B' – two brothers. 'A' executes a sale deed in favour of 'C'. Subsequently 'A' want to avoid the sale. 'A' has to sue for cancellation of the deed. On the other hand, if 'B' who is not the executant of the deed, wants to avoid it, he has to sue for a declaration that the deed executed by 'A' is invalid/void and nonest/illegal and he is not bound by it.

In the present case also, the petitioners have rightly sought decree of declaration only qua the sale deeds in question instead of seeking their cancellation inasmuch as they are not parties to the same.

Insofar as the issue as to applicability of Section 24(b) of the Act of 1961 or Section 24(e) of the Act of 1961 is concerned, the issue is no more res integra. The Coordinate Bench of this Court has, in the case of Jagdish Sahu (supra), held as under :–

As stated above, the plaintiff /petitioners are non–executant of the sale deed and they are in possession and they sued for a declaration that the deed is null and void and does not bind them, thus, provisions of clause (a), (b), (c) & (d) of Section 24 of the Act does not apply in this case for the purpose of payment of court –fee on the plaint. Therefore, the present case comes under the category of clause (e) of Section 24 of the Act and the court –fee shall be computed on the amount at which the relief sought is valued in the plaint, subject to a minimum fee of twenty–five rupees."

In view of the law laid down by the Hon'ble Apex Court of India in case of Suhrid Singh @Sardool Singh (supra) and the Coordinate Bench of this Court in case of Jagdish Sahu (supra), this Court is of the considered opinion that the learned trial Court erred in directing the petitioners to pay Court fee under Section 24(b) of the Act of 1961 and the order dated 19.04.2017 suffers from illegality which warrants interference of this Court under its supervisory jurisdiction. The order dated 19.04.2017 is quashed and set aside to the extent it has

Authenticated Document

allowed the application filed by the respondents–defendants under Order 7 Rule 11 CPC and it is held that the Court fee paid by the petitioners–plaintiffs was proper.

न्यायिक दृष्टांत **AIR 2024 SC (SUPP) 1898 SHINGARA SINGH V. DALJIT SINGH** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

Specific Relief Act (47 of 1963), S.20– Transfer of Property Act (4 of 1882) S.52 Specific performance of agreement to sell – Lis pendens–Applicability–Sale deed was executed by defendant No. 1 in favour of defendant No. 2 during pendency of suit for specific performance – Trial Court found execution of agreement to be proved and directed for refund of earnest money with further finding that agreement was not a result of fraud and collusion–Said finding had become final in the absence of any challenge to the same–Plaintiff was non–suited only on the ground that defendant No. 2 had no notice of the agreement and was a bona fide purchaser–Once agreement was proved and subsequent sale was during pendency of the suit, same would be hit by the doctrine of lis pendens–High Court had rightly passed decree for specific performance.

22. दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से विद्वान अधिवक्तगण ने तर्क पेश किये हैं कि उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वसीयत दिनांक 12.01.2010 प्रदर्श ए–1 से जो हक, अधिकार उन्हें वादग्रस्त सम्पत्ति में प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर जरिये मुख्तयारनामा आम सम्पत्ति का विक्रय पत्र सद्भाविक क्रेता के रूप में निष्पादित किया गया है। उक्त विक्रय पत्र के पश्चात स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल के शेष वारिसान वादग्रस्त सम्पत्ति का मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन करवाने के अधिकारी नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त सम्पत्ति की एकल स्वामित्वधारी नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल ने अपने जीवनकाल में अपने समस्त विधिक वारिसान को प्रदर्श ए 1 वसीयत दिनांक 12.01.2010 से अलग–अलग हिस्सों के हक व अधिकार प्रदान किये हैं। उनका यह भी तर्क है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 दिनांक 14.03.2007 को निष्पादित की गई है, वह वसीयत अंतिम वसीयत नहीं है, क्योंकि उसके पश्चात स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल ने दिनांक 12.01.2010 को प्रदर्श ए 1 वसीयत निष्पादित की है। दिनांक 14.03.2007 को निष्पादित वसीयत प्रभावहीन होकर शून्य है, क्योंकि उसके पश्चात वादग्रस्त सम्पत्ति की अंतिम वसीयत दिनांक 12.01.2010 को निष्पादित की जा चुकी थी। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 उक्त वसीयत के आधार पर ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से उनका हिस्सा क्रय किया गया है, ऐसी स्थिति में वादिया वादग्रस्त सम्पत्ति का मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन, किराया राशि तथा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3

वादिया के विरूद्ध, विवाद्यक संख्या 4 स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या–5 प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध निर्णीत किये जाने का निवेदन किया गया।

23. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वाद में वादग्रस्त सम्पत्ति ए 2 जीवन विहार कॉलोनी, गेटवेल हॉस्पिटल के पास, वैशाली नगर, अजमेर स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग की स्वअर्जित आय से क्रय की गई सम्पत्ति है, यह निर्विवाद रूप से स्वीकृत तथ्य रहा है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के वादिया व प्रतिवादी संख्या–1 से 3 पुत्रियां व पुत्र होकर विधिक वारिसान हैं। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या श्री बेनीगोपाल गर्ग ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित की अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम न्यायालय को हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती प्रीति उर्फ रजनी अग्रवाल के द्वारा तथाकथित रूप से प्रदर्श ए 4 वसीयत दिनांक 14.03.2007 अपने पक्ष में स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग द्वारा निष्पादित किये जाने के जो तथ्य प्रकट किये हैं, उस सम्बन्ध में विवेचना की जा रही है।

<u>प्रदर्श ए 4 वसीयत दिनांकित 14.03.2007 के सम्बन्ध में विवेचनः–</u>

24. प्रदर्श ए 4 वसीयत के सम्बन्ध में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अपनी साक्ष्य में उक्त वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित होने के तर्कों के साथ–साथ वसीयत में की गई कांट–छांट, वसीयत की लिपि, स्याही में अंतर होना, कांट–छांट पर स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के लघु हस्ताक्षर नहीं होना, वसीयत के पीछे के पांच पृष्ठों पर अन्य इबारत अंकित/टंकित होना, वसीयत के तथाकथित गवाह सरोज जुडित की सम्पूर्ण वल्दियत अंकित नहीं होना, वसीयत पर स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के हस्ताक्षर फर्जी व कूटरचित होने के साथ ही वसीयत के पृष्ठ संख्या 6 पर जो अंगुठा निशानी स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग की अंकित की गई है, वह अंगुठा निशानी उक्त पृष्ठ संख्या 6 के पुश्त पर रिक्त पेपर पर अंकित की गई है। उक्त समस्त कारणों से तथाकथित वसीयत प्रदर्श ए 4 फर्जी व कूटरचित है। इस सम्बन्ध में यदि हम पत्रावली का अवलोकन करें तो यह प्रकट होता है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 जो कि तथाकथित रूप से दिनांक 14.03.2007 को स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग द्वारा प्रतिवादी संख्या–3 के पक्ष में निष्पादित किया जाना बताया गया है, से यह प्रकट होता है कि उक्त वसीयत के प्रत्येक पृष्ठ पर कांट–छांट की गई है। उक्त कांट–छांट पर वसीयतकर्ता के लघु व पूर्ण हस्ताक्षर नहीं है। वसीयत में की गई कांट–छांट से उसके मूल स्वरूप में सारभूत रूप से परिवर्तन होता है, जो कि तथाकथित वसीयत की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाती है। वसीयत प्रदर्श ए 4 के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि उक्त वसीयत जो कि छः पृष्ठों में है, के

पांच पृष्ठों की पुश्त पर अन्य मुकदमों की इबारत टंकित की गई है, जो कि सामान्य रूप से वसीयत जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के निष्पादन में उपयोग नहीं लिये जाते हैं। वसीयत प्रदर्श ए 4 के सुक्ष्म अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि वसीयत के पृष्ठ संख्या 1 से 5 पर तथाकथित रूप से वसीयत निष्पादक स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के हस्ताक्षर पृष्ठ के अंत में ना होकर छोड़े गये बांयी तरफ के हांसिए में किये गये हैं। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या 1 से 4 में पृष्ठ की समाप्ति तक लिखावट है, जिसमें से पृष्ठ संख्या 3 पर अंत में नला बाजार, अजमेर स्थित सम्पत्ति की दिशाओं में क्या क्या स्थित है, का अंकन बाद में काली रंग की स्याही से अंकित किया गया है, जबकि उक्त पृष्ठ के पूर्व के पृष्ठ संख्या 2 में जीवन विहार स्थित वादग्रस्त सम्पत्ति की दिशाओं में क्या–क्या स्थित है, का अंकन उसी नीली रंग की स्याही से अंकित किया जाना प्रकट होता है।

25. पत्रावली पर उपलब्ध वसीयत प्रदर्श ए 4 में अंकित इबारतों का यदि हम सुक्ष्मता से अवलोकन करें तो उक्त वसीयत में प्रतिवादी संख्या 1 प्रवीण गर्ग के विरूद्ध उसकी पत्नी श्रीमती सुमन के द्वारा पारिवारिक न्यायालय, जयपुर में विवाह विच्छेद का प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने के तथ्य अंकित किये गये हैं, जो कि सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति वसीयत जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में असंगतता लिए हुए इस प्रकार के कथनों का अंकन नहीं करता है। वसीयत में आगे वसीयतकर्ता के द्वारा अपनी पूर्व पुत्रवधु के द्वारा अपने, अपनी पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने का भी अंकन किया गया है, जो कि न्यायालय के विनम्र मत में किसी भी प्रकार से वसीयत से कोई संबंध नहीं रखता है। उक्त अंकन को एक लाईन से काटा गया है, जिस पर किसी भी प्रकार के लघु हस्ताक्षर वसीयतकर्ता के द्वारा नहीं किये गये हैं। वसीयत के पृष्ठ संख्या 4 पर पंक्ति संख्या 2 में चार शब्दों के पश्चात कुछ रिक्त स्थान छोड़ा गया है, जिसमें बाद में काले रंग की स्याही से इबारत अंकित की गई है, उसके पश्चात इबारत के सम्पूर्ण से अंकित नहीं होने के कारण उक्त पृष्ठ पर बांयी तरफ अंकित की गई है। उक्त इबारत के चार शब्द पश्चात पुनः कांट–छांट करते हुए एक इबारत उक्त पृष्ठ के ऊपर नीली स्याही से अंकित की गई है। वसीयत के पृष्ठ संख्या 5 का भी सुक्ष्मता से अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि उक्त पृष्ठ पर सर्वप्रथम कहीं पर और पांच पंक्तियां जोड़ने बाबत निशान अंकित करते हुए लिखी गई है, उसके पश्चात पृष्ठ संख्या 5 अंकित किया गया है, जो कि सद्भाविक रूप से अंकित नहीं किया जाना प्रकट होता है। उक्त पांच लाईने में जो इबारत अंकित की गई है, वह प्रतिवादी संख्या–1 का विवाह विच्छेद होने, नवम्बर, 92 से घर नहीं आने परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिलना अंकित करते हुए लापता होना बताया है, जो कि किसी भी प्रकार से वसीयत प्रदर्श ए 4 से सुसंगत नहीं है। इसी

Authenticated Document

प्रकार उक्त पृष्ठ पर कई स्थानों पर कांट छांट भी की गई है, जिस पर वसीयतकर्ता के लघु हस्ताक्षर नहीं है। उक्त पृष्ठ के अंत में अंकित पंक्तियों के नीचे अन्य स्याही से लिखी गई पंक्तियों के नीचे लाईन खीची गई है। उक्त लाईन भी बाद में खींची जाना प्रकट होती है।

26. वसीयत प्रदर्श ए 4 के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि उक्त वसीयत के अन्तिम पृष्ठ संख्या 6 में भी कांट छांट की गई है, जिस पर वसीयतकर्ता के लघु हस्ताक्षर नहीं है। उक्त वसीयत का अंतिम पृष्ठ शेष वसीयत के पांच पृष्ठों से भिन्न होकर भिन्न स्याही से लिखा जाना प्रकट होता है, जिस पर वार व दिनांक बाद में काली स्याही से अंकित की गई है। वसीयत के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि वसीयत पर अधिवक्ता किशन गुर्जर के हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। उक्त हस्ताक्षर वसीयत पर अंकित सील में नाम के ऊपर न किये जाकर उसके दांयी तरफ रिक्त स्थान पर किये गये हैं। इसी प्रकार इस पृष्ठ पर अधिवक्ता किशन गुर्जर की जो सील अंकित की गई है, उस सील में पूर्व में अंकित इबारत का शब्द **" हस्ताक्षर "** भी समाहित हो रहा है। वसीयत में जिन दो अनुप्रमाणक साक्षीगण दर्शाये गये हैं, उनमें साक्षी संख्या 2 सरोज जुडित के केवल मात्र हस्ताक्षर होकर उसकी पूर्ण वल्दियत अंकित नहीं की गई है। वसीयत में तथाकथित रूप से वसीयतकर्ता की जो अंगुठा निशानी अंकित की गई है, वह अंगुठा निशानी भी वसीयत के अंतिम पृष्ठ की पुश्त पर किया गया है। उक्त अंगुठा निशानी को तथा उसके नीचे तीन नाम क्रमशः गजेन्द्र कुमार, किरण कुमार एवं धीरज कुमार अंकित किये गये हैं, को भी खड़ी लाईनों से कांटा गया है। उक्त के नाम के पेपर का उपयोग किया गया है। वसीयत के कुल छः पृष्ठों में से केवल मात्र अंतिम पृष्ठ को ही फोल्ड किया गया है, जो कि फोल्ड किये जाने से फट गया है, जिस पर ट्रांसपेरेंट सेलोटेप लगाया गया है तथा सम्पूर्ण वसीयत को लेमिनेशन किया गया है। कांट–छांट कब, किसके द्वारा की गई, यह स्पष्ट नहीं है। वसीयत के शेष पांच पृष्ठों को फोल्ड नहीं किया जाना प्रकट होता है, केवल मात्र पृष्ठ संख्या 6 को ही फोल्ड किया जाना अपने आपमें वसीयत की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है। वसीयत प्रदर्श ए 4 के गवाह डी.डब्ल्यू 3/2 हंसराज फागन ने साक्ष्य में पेश किये गये शपथ–पत्र में पैरा संख्या–3 में यह कथन किया है कि **प्रदर्श ए 4 वसीयत श्री बेनीगोपाल जी ने श्री संदीप अग्रवाल एडवोकेट से तैयार करवायी, श्री बेनीगोपाल ने मेरे एवं श्री किशन गुर्जर एवं श्रीमती सरोज जुडित एवं श्री किशन गुर्जर एवं संदीप अग्रवाल की मौजूदगी में प्रदर्श ए 4 वसीयत पर अपने स्वयं के हाथ से कांटा एवं जो संशोधन करना उचित समझा तो वह संशोधन भी किया। उक्त गवाह ने इस पैरा में आगे यह भी अंकित किया है कि श्री संदीप अग्रवाल ने जो वसीयत प्रदर्श ए 4 श्री बेनीगोपाल गर्ग के बताये अनुसार ही लिखी उस सम्पूर्ण को पढ़कर ही श्री बेनीगोपाल गर्ग ने वसीयत में स्वेच्छा से जो काटना उचित समझा व काटा।**

उक्त गवाह से <u>विद्वान अधिवक्ता वादिया की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 की लिखा पढ़ी मेरे सामने हुई थी। वसीयत पर सारा लेख बेनीगोपाल जी का खुद का है।</u> लगभग दो तीन घंटे इसको लिखने में लगे थे। यह सुझाव सही है कि प्रदर्श ए 4 वसीयत कितनी समय लिखी गई, उस काल के दौरान श्रीमती प्रीति अग्रवाल लिखा पढ़ी के स्थान पर नहीं आयी, के कथन किये हैं।

27. इसी प्रकार वसीयत प्रदर्श ए 4 के न्यायालय में परीक्षित हुए एक मात्र गवाह डी.डब्ल्यू 3/2 हंसराज फागना की साक्ष्य का अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से परीलक्षित होता है कि उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण में तथाकथित वसीयत प्रदर्श ए 4 श्री संदीप अग्रवाल एडवोकेट से वसीयतकर्ता स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल द्वारा अपने निर्देशन में तैयार करना कहता है। उक्त वसीयत के तैयार होने के पश्चात उसमें रही कमियों की कांट–छांट वसीयतकर्ता बेनीगोपाल गर्ग द्वारा करने के कथन करता है,परन्तु गवाह से विद्वान अधिवक्ता वादिया द्वारा की गई जिरह में सम्पूर्ण वसीयत प्रदर्श ए 4 बेनीगोपाल गर्ग द्वारा अपनी हस्तलिपि में दो तीन घंटे में तैयार करने का कथन करता है। उक्त दोनों ही कथन अपने आपमें विरोधाभासी कथन है, जो वसीयत प्रदर्श ए–4 की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है। इसी प्रकार एक क्षण के लिए यदि गवाह के इस तथ्य को स्वीकार किया जावे कि वसीयत प्रदर्श ए 4 में स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के द्वारा अपनी हस्तलिपि में वसीयत को तैयार करने के पश्चात उसमें संशोधन किये गये हो तो इस बाबत हम यदि वसीयत प्रदर्श ए 4 का अवलोकन करें तो उसमें यह स्पष्ट रूप से परीलक्षित होता है कि वसीयत के पृष्ठ संख्या 1 व 2 में जो संशोधन किये गये हैं, वे संशोधन नीली स्याही से किये गये हैं तथा पृष्ठ संख्या 3 पर नला बाजार अजमेर स्थित सम्पत्ति के विवरण के बाबत किये गये अंकन काली स्याही से किये गये हैं। वसीयत के पृष्ठ संख्या 4 पर कुछ स्थानों पर संशोधन नीली स्याही से तथा कुछ स्थानों पर संशोधन काली स्याही से किये गये हैं। इसी प्रकार वसीयत के पृष्ठ संख्या 5 पर किये गये संशोधन नीली स्याही से तथा कुछ पंक्तियों के नीचे की गई लाईन काली स्याही से की गई गई है। इस प्रकार किसी भी प्रज्ञावान मनुष्य के द्वारा निष्पादित वसीयत में निष्पादन के पश्चात यदि कोई संशोधन किया जाता है तो इस प्रकार के संशोधन एक ही स्याही के पेन से किया जाता है न कि कुछ पृष्ठों पर काली स्याही से व कुछ पृष्ठों पर नीली स्याही से किया जाता है।

28. पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि कुछ गवाह वसीयत प्रदर्श ए 4 श्री संदीप अग्रवाल, अधिवक्ता द्वारा अपनी हस्तलिपि में तैयार करने के कथन करते हैं, किन्तु वास्तव में श्री संदीप अग्रवाल, अधिवक्ता द्वारा उक्त वसीयत अपनी हस्तलिपि में लिखी गई हो, यह साबित नहीं होता है, क्योंकि वाद में श्री संदीप अग्रवाल, अधिवक्ता को पेश कर

परीक्षित नहीं करवाया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वसीयत पर अंकित अंगुठा निशानी व अन्य इबारत व हस्ताक्षर बाबत कोई विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण नहीं करवाया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि वसीयत पर अंकित अंगुठा निशानी/हस्ताक्षर/इबारत वास्तव में स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग की है अथवा किसी अन्य व्यक्ति की है। स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल के अन्य विवाद रहित हस्ताक्षर व अंगुठा निशानियों से यदि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में तथाकथित वसीयत प्रदर्श ए 4 प्रेषित कर जांच करवायी जाती तो वसीयत की सत्यता व विश्वसनीयता साबित हो सकती थी। वसीयत की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में यदि जांच करवायी जाती और उक्त जांच करने वाले हस्तलेख/अंगुठा निशानी/हस्ताक्षरों के संबंध में विशेषज्ञ की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हो सकती थी, को पेश करने का भी कोई प्रयास किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वसीयत प्रदर्श ए 4 के सम्बन्ध में पेश की गई साक्ष्य से वसीयत की विश्वसनीयता और सत्यता संदिग्ध हो जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वसीयत प्रदर्श ए 4 पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से विधिनुसार निष्पादित न होने से मान्य नहीं है।

29. हस्तगत वाद में उभय पक्ष द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह भी वसीयत प्रदर्श ए 4 की विश्वसनीयता पर गम्भीर संदेह उत्पन्न करती है। डी.डब्ल्यू 3 श्रीमती प्रीति मित्तल से वादी द्वारा की गई जिरह में कथन किया गया है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 पर तमाम दस्तख्तों एवं लिखावट, सील, अंगुठा निशानी होने के समय वह घर पर ही थी फिर कहा कि उस समय घर पर नहीं थी। यह सुझाव सही बताया है कि प्रदर्श ए 4 वसीयत की कोई भी लिखावट व हस्ताक्षर, अंगुठा निशानी उसके सामने नहीं हुई। सरोज जुडित को उसने कभी भी हस्ताक्षर करते नहीं देखा। गवाह का जिरह में कथन है कि जिस समय वसीयत प्रदर्श ए 4 लिखी गई, तब सरोज जुडित किस पते पर निवास करती थी, उसे ध्यान नहीं है। उसका जिरह में यह भी कथन रहा है कि उसे पता नहीं है कि श्री संदीप अग्रवाल ने यह वसीयत प्रदर्श ए 4 कहां पर लिखी स्वतः कहा कि पिताजी का कहना था कि उन्होंने उनसे लिखायी। यह भी कथन किया है कि उसने संदीप अग्रवाल को वसीयत लिखते या अन्य किसी कागज पर लिखावट लिखते नहीं देखा। यह भी कथन रहा है कि प्रदर्श ए 4 वसीयत के तमाम पेजों पर कटिंग, कांटा–फांसी उसके पिताजी ने उसके सामने नहीं की स्वतः कहा उन्होंने उसे जानकारी में दिया कि उन्होंने पढ़कर व समझकर जो सही नहीं लगा, वो काटा है। यह सुझाव सही बताया है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 पर ई से एफ हस्ताक्षर व लिखावट हंसराज फागना ने उसके सामने नहीं की है। हंसराज फागना को उसने कभी लिखते, पढ़ते, हस्ताक्षर करते किसी कागज पर नहीं देखा। यह भी कथन किया है कि श्री किशन गुर्जर को लिखते–पढ़ते व

Authenticated Document

हस्ताक्षर करते नहीं देखा है। यह सुझाव सही है कि प्रदर्श ए 4 वसीयत उसके सामने नहीं लिखी गई। यह भी कथन किया है कि उसके देवर का नाम अनिल कुमार मित्तल है। उसका देवर चल–फिर सकता है। सरोज जुडित, हंसराज फागना व किशन गुर्जर आराम से बोलते–चालते हैं और पूछो तो जवाब दे सकते हैं और इन्हें बयान के लिए बुलाने पर आ सकते हैं। उसे ध्यान नहीं है कि मार्क एक्स पर ए से बी हस्ताक्षर व सी से डी लिखावट उसके पिताजी की हस्तलेख में हो। उसने जिरह में स्वीकार किया है कि वसीयत प्रदर्श ए 4 न्यायालय में दिनांक 25.05.2003 को पेश हुई। इस प्रकार उभय पक्ष द्वारा दी गई सम्पूर्ण साक्ष्य के विस्तृत विवेचन व विश्लेषण से केवल और केवल यही प्रकट होता है कि प्रदर्श ए 4 वसीयत किसके द्वारा लिखना पूर्णतः संदेहास्पद है तथा सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर वसीयत संदेहास्पद हो जाती है।

<u>दूसरी वसीयत दिनांकित 12.01.2010 प्रदर्श ए 1 के सम्बन्ध में विवेचनः–</u>

30. अब यदि हम पत्रावली पर उपलब्ध स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग द्वारा निष्पादित एक अन्य वसीयत दिनांक 12.01.2010 प्रदर्श ए 1 के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो उक्त वसीयत के दो गवाह बृजेश कुमार व गिरीश कुमार के हस्ताक्षर है। उक्त वसीयत के गवाहान में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से गवाह डी.2 डब्ल्यू 3 गिरीश कुमार को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में वसीयत के निष्पादन बाबत साक्ष्य दी है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उक्त गवाह से विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने **<u>इस कथन को गलत बताया कि प्रदर्श ए–1 पर ए से बी हस्ताक्षर स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के हो।</u>** इस प्रकार वसीयत के उक्त गवाह गिरीश कुमार की उपरोक्त साक्ष्य से यह भलीभांति प्रकट होता है कि वसीयत प्रदर्श ए–1 पर स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के हस्ताक्षर नहीं है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी वसीयत पर सर्वप्रथम वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों को यदि वसीयत के गवाहों द्वारा इंकार कर दिया जाता है कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है, तो ऐसी वसीयत विधि की दृष्टि में मान्य वसीयत नहीं रह जाती है। इसी प्रकार उक्त वसीयत के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि वसीयत के गवाह गिरीश कुमार ने अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य में यह कथन नहीं किये हैं कि उक्त वसीयत को किसने टंकित किया है, किसके निर्देशन में टंकित किया है। उक्त गवाह ने वसीयत के आवश्यक मूलभूत तत्वों का समावेश अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य में नहीं किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि वसीयत पर अंकित हस्ताक्षर बाबत कोई विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण नहीं करवाया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि वसीयत पर अंकित हस्ताक्षर वास्तव में स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के हो अथवा किसी

Authenticated Document

अन्य व्यक्ति की है। स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल के अन्य विवाद रहित हस्ताक्षरों से यदि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में तथाकथित वसीयत प्रदर्श ए 1 प्रेषित कर जांच करवायी जाती तो वसीयत की सत्यता व विश्वसनीयता साबित हो सकती थी, परन्तु किसी भी पक्षकार के द्वारा इस प्रकार की साक्ष्य पेश करने हेतु प्रयास नहीं किये गये हैं। वसीयत की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में यदि जांच करवायी जाती और उक्त जांच करने वाले विशेषज्ञ की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हो सकती थी, को पेश करने का भी कोई प्रयास किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वसीयत प्रदर्श ए 1 के सम्बन्ध में पेश की गई साक्ष्य से वसीयत की विश्वसनीयता और सत्यता संदिग्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त जबकि वसीयत का गवाह ही वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर होने से इंकार करता है तो स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 12.01.2010 प्रदर्श ए 1 विधिनुसार न होने से अमान्य है।

31. वादिया की ओर से अपने वादपत्र में स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के पास अपनी स्व–अर्जित आय से 250 ग्राम सोने के जेवर, 80 चांदी के सिक्के, 5 किलो चांदी, घरेलू सामान इत्यादि होने का कथन करते हुये, उनका भी मिट्स एण्ड बाउंस के आधार पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य विभाजन करवाने बाबत अनुतोष भी चाहा है। वादिया की ओर से चाहे गये इस अनुतोष बाबत यदि हम पत्रावली का अवलोकन करें तो इस अनुतोष के संबंध में वादिया की ओर से किसी भी प्रकार की ठोस एवं विश्वसनीय प्रलेखीय तथा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित होता हो कि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग के पास अपनी स्वअर्जित आय से उपरोक्त सोना–चांदी के जेवरात, सिक्के इत्यादि हो। ऐसी स्थिति में वादिया की ओर से चाहा गया उक्त अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वादिया की ओर से विवाद्यक संख्या 2 के संबंध में भी ऐसी कोई ठोस एवं विश्वसनीय प्रलेखीय तथा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त सम्पत्ति में कितने किरायेदार होकर कितनी किराया राशि मासिक प्राप्त हो रही है, जिसमें वादिया कितनी किराया राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है, की साक्ष्य का अभाव होने से वादिया किराया राशि के संबंध में विवाद्यक संख्या 2 में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वादिया उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर विवाद्यक संख्या 3 में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी पायी जाती है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण से विवाद्यक संख्या 1 आंशिक रूप से वादिया के पक्ष में, विवाद्यक संख्या 2 वादिया के विरूद्ध, विवाद्यक संख्या 3 वादिया के पक्ष में, विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध निर्णीत किये जाते हैं।

Authenticated Document

विवाद्यक संख्या–6

32. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या–3 पर रहा है। इस विवाद्यक में प्रतिवादी संख्या–3 को यह साबित करना है कि आया वादिया ने वाद मूल्यांकन कम कर कम न्यायशुल्क अदा किया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से वादिया के द्वारा वाद मूल्यांकन कम अंकित करते हुए अपर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से दौराने बहस व प्रलेखीय साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादिया ने जो न्यायशुल्क अदा किया है, वह किस प्रकार से अपर्याप्त है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वादिया ने जो न्यायशुल्क अदा किया है, उसे कितना और न्याय शुल्क अदा करना चाहिए था। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादिया संख्या 3 की ओर से पत्रावली पर ऐसी कोई विश्वसनीय मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित होता हो कि वादिया ने वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार न्यायशुल्क अदा नहीं किया हो। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादिया ने वादपत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या–3 के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–6 ए व 6 बी–

33. उक्त दोनों विवाद्यक एक–दूसरे से परस्पर संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या–6 ए व 6 बी में प्रतिवादी संख्या–4 व 5 को यह साबित करना है कि आया मुख्त्यारनामा दिनांक 30.11.2022 एवं दो विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2022 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में मालिकाना हक, अधिकार सहित निष्पादित किये गये तथा आया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त सम्पत्ति के भाग जो प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा खरीद किया गया है, जिसकी कीमत 70,00,000/– रुपये पर अंकित है, पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वाद शुल्क नहीं लगाये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

34. उक्त विवाद्यकों के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से तर्क पेश किये गये हैं कि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग ने जरिये वसीयत दिनांक 12.01.2010 प्रदर्श ए 1 के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा प्रदान किया गया था। उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा विधिनुसार निहित अपने समस्त हक व अधिकारों का उपयोग करते हुए मुख्तयारनामा दिनांक 30.11.2022 प्रदर्श डी–5 को प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जो कि

वसीयत प्रदर्श ए 1 के अनुसार वैध व विधिनुसार है। उनका यह भी तर्क है कि जिस दिन मुख्तयारनामा नियुक्त किया, उस दिन तथा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने की दिनांक तक वादग्रस्त सम्पत्ति के अन्तरण बाबत किसी भी न्यायालय से स्थगन आदेश जारी नहीं किया हुआ था। उनका यह भी तर्क है कि उक्त मुख्तयारनामा के जरिये प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 09.12.2022 को विक्रय पत्र प्रदर्श बी–1 व प्रदर्श बी–3 निष्पादित किये हैं, जो कि पूर्णतया विधिनुसार है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित करवाने हेतु पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया है, इसलिए वह कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः उक्त दोनों विवाद्यक संख्या 4 व 5 के पक्ष में निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

35. विद्वान अधिवक्ता वादिया की ओर से उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क पेश किये गये है कि स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग ने वसीयत प्रदर्श ए 1 निष्पादित नहीं की है, वरन उक्त वसीयत पूर्णतया फर्जी व कूटरचित है। उनका यह भी तर्क है कि वसीयत फर्जी व कूटरचित होने के कारण वादग्रस्त सम्पत्ति वादिया एवं प्रतिवादिया संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति थी, जिसके प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक का हक व अधिकार निहित है। सम्पत्ति के विभाजन नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादिया संख्या 4 के पक्ष में तथाकथित मुख्तयारनामा दिनांकित 30.11.2022 एवं उक्त मुख्तयारनामे के आधार पर निष्पादित दो विक्रय पत्र दिनांक 09.12.2022 पूर्णतया विधिविरूद्ध है, जिससे प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को किसी भी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उनका यह भी तर्क है कि वादग्रस्त सम्पत्ति का वाद विचाराधीन रहते हुए उक्त अन्तरण किया गया है, जो कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत अवैध व शून्य है। अतः उक्त दोनों विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

36. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से तर्क पेश किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या–3 को जरिये वसीयत प्रदर्श ए 4 प्रदान की है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक व अधिकार निहित नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वसीयत प्रदर्श ए 4 से कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा जो मुख्तयारनामा प्रतिवादी संख्या 4 को प्रदान किया गया है तथा उक्त तथाकथित मुख्तयारनामा के जरिये प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा निष्पादित करवाये गये हैं, वे विक्रयपत्र पूर्णतया विधि विरूद्ध होने के कारण अवैध व शुन्य है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जिस तथाकथित वसीयत दिनांक 12.01.2010 से अपने आपको हक व अधिकार प्राप्त होना अभिकथित करते हैं, उक्त वसीयत

पूर्णतया फर्जी व बनावटी होने के कारण उन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उनका यह भी तर्क है कि उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने बाबत नियमानुसार प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा नियमों में देय न्यायशुल्क 60 रूपये अदा किया गया है। अतः उक्त दोनों विवाद्यक संख्या 4 व 5 के विरूद्ध निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

37. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत वाद दिनांक 24.10.2011 को पेश किया गया था। उक्त वाद के लम्बनकाल के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने आपको उक्त संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति में तथाकथित वसीयत प्रदर्श ए 1 के आधार पर उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति का मुख्तयारनामा प्रतिवादी संख्या–4 को नियुक्त करते हुए जारी किया गया है। मुख्तयारनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या–4 ने दो विक्रय पत्र, जिसमें से एक स्वयं के नाम तथा दूसरा प्रतिवादी संख्या–5 के नाम से पंजीबद्ध करवाया गया है। उक्त दोनों विक्रय पत्र के निष्पादन के समय न्यायालय का स्थगन आदेश जारी नहीं था, किन्तु इस संबंध में यदि हम सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 का अवलोकन करें, जो निम्नानुसार है–

<u>सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा–52</u>

> During the pendency in any Court having authority within the limits of India excluding the State of Jammu and Kashmir or established beyond such limits by the Central Government of any suit or proceedings which is not collusive and in which any right to immoveable property is directly and specifically in question, the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order which may be made therein, except under the authority of the Court and on such terms as it may impose.

उक्त प्रावधानों के संबंध में यदि हम पत्रावली का अवलोकन करें तो पाते है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या–4 के पक्ष में निष्पादित मुख्तयारनामा, मुख्तयारनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा एक विक्रय पत्र स्वयं के पक्ष में तथा एक अन्य विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या–5 के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जो कि हस्तगत वाद के लम्बनकाल के दौरान निष्पादित किये गये हैं, जो कि विधिनुकूल नहीं है।

38. पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि वादिया ने वादग्रस्त सम्पत्ति का मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से यह अभिनिर्धारित किया जाना था कि क्या वादग्रस्त सम्पत्ति स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग की निवर्सीयती सम्पत्ति है अथवा वसीयती सम्पत्ति है, का निर्धारण किया जाना

था। उक्त निर्धारण न्यायालय द्वारा किये जाने के पूर्व ही तथाकथित वसीयत प्रदर्श ए 1 के जरिये जो अन्तरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या–4 व 5 के पक्ष में किया गया है, वह पूर्णतया अविधिक है। न्यायालय द्वारा पूर्व विवाद्यकों में किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल गर्ग द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 14.03.2007 प्रदर्श ए 4 व द्वितीय वसीयत दिनांकित 12.01.2010 प्रदर्श ए 1 को वैध रूप से निष्पादित नहीं होने के कारण अमान्य मानी गयी है, ऐसी स्थिति में वसीयत दिनांक 12.01.2010 प्रदर्श ए 1 के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने अपना वसीयत में अंकित हिस्सा मानते हुए प्रतिवादी संख्या–4 व 5 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र अवैध व शून्य है, क्योंकि उक्त अन्तरण के समय वादग्रस्त सम्पत्ति पर विभाजन के वाद लम्बन के साथ–साथ सम्पत्ति वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त रूप से अविभाजित थी। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–4 व 5 की ओर से दिया गया यह तर्क कि प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा पर्याप्त न्यायालय शुल्क पेश नहीं किया गया है, इसलिए उक्त विवाद्यक संख्या 6 बी के अनुसार वह कोई भी अनुतोष पाने की अधिकारिणी नहीं है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि जब दोनों ही वसीयतें न्यायालय द्वारा अमान्य मानी जा चुकी है, तो फिर उक्त तर्क अपने आप ही सारहीन हो जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व में जब दोनों ही वसीयत अमान्य मानी जा चुकी है, तो फिर प्रतिवादिया संख्या–3 अपने आप ही सम्पूर्ण सम्पत्ति की स्वामी नहीं रह जाती है और न्यायशुल्क बाबत प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का तर्क पूर्व के विवाद्यकों में किये गये विवेचन व विश्लेषण के अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त दोनों विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध निर्णीत किये जाते हैं।

अनुतोष–

39. उपरोक्त विवेचनानुसार वाद में विरचित विवाद्यक संख्या 1 आंशिक रूप से तथा विवाद्यक संख्या–3 पूर्ण रूप से वादिया के पक्ष में निर्णीत किये गये हैं। शेष विवाद्यकों में विवाद्यक संख्या 2 वादिया के विरूद्ध, विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध, विवाद्यक संख्या 5 व 6 प्रतिवादी संख्या–3 के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या 6 ए व 6 बी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध निर्णीत किये गये हैं। उक्त विवाद्यकों में किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादिया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

40. अतः वादिया श्रीमती अनिल मित्तल उर्फ प्रार्थना मित्तल की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत विभाजन व अन्य अनुतोष बाबत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रवीण गर्ग व अन्य आंशिक रूप से निम्न प्रकार से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है–

Authenticated Document

(1) यह कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 स्वर्गीय बेनी गोपाल का नैनी विला, ए–2, जीवन विहार कॉलोनी, गेटवेल हॉस्पिटल के पास, वैशाली नगर, अजमेर स्थित मकान में प्रत्येक का 1/4th–1/4th हिस्सा स्वर्गीय श्री बेनीगोपाल के पुत्रियां व पुत्र होने के कारण घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

(2) यह कि वादिया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि वादग्रस्त सम्पत्ति नैनी विला, ए–2, जीवन विहार कॉलोनी, गेटवेल हॉस्पिटल के पास, वैशाली नगर, अजमेर स्थित मकान का मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर अंतिम विभाजन की डिक्री पारित होने तक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को स्वयं अथवा अन्य किसी से बेचान, दान, गिरवी, अडमान आदि से अन्तरित न करें, ना करवावें की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

(3) यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में निष्पादित किए गए दो विक्रय पत्र क्रमशः प्रदर्श बी–1 व प्रदर्श बी–3 दिनांक 09.12.2022 को अवैध व शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किये जाते हैं, इस बाबत संबंधित उप–पंजीयक, अजमेर द्वितीय को नियमानुसार निरस्तगी बाबत तहरीर जारी की जावे।

(4) यह कि तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(5) खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

41. निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

Authenticated Document